हिन्दी मासिक ISSN No.: 2582-4007 जनवरी 2020

सच्चा राही

लखनऊ

सामाजिक एवं साहित्यिक

नया साल मुबारक हो

नया साल आया मुबारक हो सबको
मसीही को हिन्दू को मुस्लिम को सिख को
हवादिस से बच कर करें सब तरक़्क़ी
रहें दीन पर सब ना भूले वह रब को

इदारा

वार्षिक ₹ 300/=

एक प्रति ₹ 30/=

सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक)	50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

सच्चा राही
A/c. No. 10863759642 (Current A/c.)
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.
कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नं0 0522–2740406 अथवा ई मेलः sachcharahi2002@gmail.com पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

जनवरी, 2020 वर्ष 18 अंक 11

सुब्ह का मअ़मूल

सुब्ह सवेरे हम उठ जाएं, साफ हवा का लुत्फ़ उठाएं
करें फ़राग़त ह़ाजत से हम, रहें इसी ही आ़दत पे हम
वुज़ू करें और मस्जिद जाएं, फ़र्ज़ जमाअ़त से पढ़ आएं
सुब्ह़ की सुन्नत कभी न छोड़ें, सुन्नत से हम मुंह न मोड़ें
करें तिलावत थोड़ी हर दिन, भूलें ना हम इसे किसी दिन
बाहर निकलें टहल लगाएं, मुम्किन हो तो दौड लगाएं
करें नाश्ता काम पे जाएं, काम में दिल हम ख़ूब लगाएं
नबी पे अपने पढ़ें दुरूद, ताकि राज़ी रहे वदूद
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Editing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
दादा आदम अलैहिस्सलाम	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	08
इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	11
खिलाफते राशिदा	मौलाना गुलाम रसूल मेहर	14
सहाबा का मक़ाम व मरतबा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	16
26 जनवरी, गणतंत्र दिवस	राशिदा नूरी	21
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	22
वार्तालाप एक हिन्दी के	इदारा	26
हुकूक़ का बयान	सईदा सिद्दीक़ा फ़ाज़िला	28
औरंगज़ेब को अंग्रेज़ों ने	मौलाना सय्यिद इनायतुल्लाह नदवी	30
अ़क़्द, तलाक़ खुलअ़ (पद्य)	सईदा फ़ाज़िला ताहिराती	36
गाँव का समाज	उबैदुल्लाह मतलूब	37
दुआए मग़फिरत	इदारा	40
अपील बराए तामीर	इदारा	41
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुर्आन की शिक्षा

–मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-अनआमः

अनुवाद–

और क्या कारण है कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वह तुम न खाओ जब कि उसने जो हराम किया वह भी विस्तार से तुम्हारे सामने बयान कर दिया सिवाय इसके कि तुम उसके लिए विवश हो जाओ, बेशक अधिकतर लोग बिना समझे बूझे अपनी इच्छाओं से गुमराह करते हैं, बेशक आपका पालनहार हद से आगे बढ़ने वालों को ख़ूब जानता है[1](119) और खुला गुनाह भी छोड़ दो और छिपा गुनाह भी[2] बेशक जो लोग गुनाह अपने सिर लेते हैं जल्द ही उनको अपने किये की सज़ा मिल जायेगी(120) और जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसमें से मत खाओ और यह तो नाफ़रमानी की बात है और शैतान तो अपने दोस्तों को भड़काते रहते हैं ताकि वे तुम से बहस करें और अगर तुमने उनकी बात मान ली तो निश्चित ही तुम मुश्रिक हो गये[2](121) वह व्यक्ति जो मुर्दा था तो हमने उसको ज़िन्दा किया और उसको रौशनी दे दी वह उससे लोगों में चलता फिरता है, क्या उसकी मिसाल उस व्यक्ति की तरह हो सकती है जो अंधेरों में पड़ा है वहां से निकल नहीं सकता। इसी प्रकार काफिरों के लिए उनके कामों को सुहावना बना दिया गया है(122) और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के बड़े बड़े अपराधी रखे हैं ताकि वे वहां धोखा देते रहें और वे (वास्तव में) अपने ही साथ धोखा करते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता[4](123) और जब उनके पास कोई आयत पहुंचती है तो वे कहते हैं हम तो उस समय तक हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक हम को भी वही न मिल जाएगा जो अल्लाह के पैगम्बरों को मिला, अल्लाह ख़ूब जानता है कि किसको अपना पैग़म्बर बनाए, अपराध करने वाले जल्द ही अपनी मक्कारियों की वजह से अल्लाह के यहां अपमान और कठोर अज़ाब (यातना) झेलने वाले हैं[5](124) जिसको अल्लाह हिदायत (संमार्ग) देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता

है और जिसे गुमराह करना चाहता है उसके सीने को तंग घुटा हुआ कर देता है, मानो उसे आसमान पर ज़बर्दस्ती चढ़ना पड़ रहा हो, इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों के सिर गंदगी थोप देता है[6](125) और यह आपके पालनहार का सीधा रास्ता है, हम ने उन लोगों के लिए निशानियां खोल दी हैं जो नसीहत हासिल करते हैं(126) उनके लिए उनके पालनहार के पास सलामती का घर है और वही उनका दोस्त है, यह बदला है उनके कामों का जो वे करते रहे हैं(127) और जिस दिन वह सबको इकट्ठा करेगा (और कहा जायेगा) ऐ जिन्नातों का गिरोह तुम ने इंसानों में से बहुतों को गुमराह किया और इंसानों में से उनके दोस्त कहेंगे कि हमने एक दूसरे से काम निकाला[7] और तूने हमारे लिए जो समय निर्धारित किया था हम उस समय को आ पहुंचे, अल्लाह कहेगा कि दोज़ख ही तुम्हारा ठिकाना है उसी में पड़े रहो मगर जो अल्लाह ही चाहे, बेशक उनका पालनहार हिकमत (तत्वदर्शिता) वाला और खूब जानने वाला है(128) इसी प्रकार हम अत्याचारियों को उनकी करतूतों के कारण एक दूसरे के साथ मिला देंगे(129) ऐ जिन्नातों और इंसानों का गिरोह[8] क्या तुम्हीं में से तुम में बहुत से पैग़म्बर नहीं आये जो तुम को हमारी आयतें पढ़–पढ़ कर सुनाते थे और इस दिन के आने से तुम्हें डराते थे? वे बोलेंगे कि हम खुद अपने ऊपर गवाह हैं और उनको तो दुन्या की ज़िन्दगी ने धोखे में डाला और वे अपने ऊपर गवाही देंगे कि बेशक इनकार करने वाले वे खुद थे[9](130)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. अल्लाह ने उन्हीं जानवरों को हलाल किया जो अल्लाह के नाम के साथ ज़बह किए गए हों अब जो भी उनसे आगे बढ़ेगा तो अल्लाह उससे समझ लेगा सिवाए यह कि भूख की वजह से मरने की आशंका हो तो आवश्यकता वश इसकी अनुमति है।

2. यानी काफिरों के बहकावे पर न ज़ाहिर में अमल करो न दिल में शक करो, ज़ाहिरी जीवन भी पवित्र हो और अंतःकण भी पाक रहे।

3. अल्लाह के आदेश को न मानना भी शिर्क है।

4. मक्का के सरदारों का काम भी यही था और हर ज़माने में ऐसे लोग रहे हैं जो सत्य से रोकने के लिए तरह–तरह के हीले बहाने करते रहे हैं, मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि इससे परेशान न हों यह सारी मक्कारी और छलकपट उन्हीं पर पड़ने वाली है।

शेष पृष्ठ .....10...पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

जादू करने और सीखने की मुमानियतः-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''उन सात बड़े गुनाहों से बचो जो ईमान को खत्म कर देते हैं'', लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वह कौन से गुनाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक़ ठहराना, जादू करना, नाकह क़त्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग में पीठ फेर कर भागना, भोली भाली पाकदामन औरतों पर बदकारी का तोहमत लगाना।

(बुखारी—मुस्लिम)

सोने चांदी के बरतन प्रयोग करने की मुमानियतः-

हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो चांदी सोने के बरतन में खाता पीता है वह अपने पेट को जहन्नम की आग से भरता है।

(बुखारी—मुस्लिम)

मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जो सोने के बरतन में खाता पीता है या चांदी के!

हज़रत हुजैफा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्ल0 ने रेशमी कपड़े पहनने से और सोने चांदी के बरतन में खाने पीने से मना फरमाया है और फरमाया कि यह चीजें दुन्या में काफ़िरों के लिए हैं और आखित में तुम्हारे लिए हैं।

(बुखारी—मुस्लिम)

एक दूसरी सही रिवायत में है कि हज़रत हुजैफ़ा कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप फरमाते थे कि न रेशम और दीबा (यह भी रेशम की एक किस्म है) पहनो, न चांदी सोने के बरतन में खाओ पियो और न प्यालों में खाओ।

हज़रत अनस बिन सीरीन से रिवायत है कि मैं मालिक बिन अनस के साथ मजूसियों की जमाअ़त में बैठा हुआ था इस अर्से में चांदी के बरतन में फालूदा आया, हज़रत अनस बिन मालिक ने न पिया और कहा इसको दूसरे बरतन में उंडेल कर लाओ, चुनांचि उन्होंने खलंज के बरतन में उंडेल कर पेश किया तो फिर उसको पिया। (बैहकी)

मर्द को ज़ाफरानी रंग का कपड़ा पहनने की मुमानियतः-

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मर्दों को जाफरानी रंग के कपड़ों से मना फरमाया है।

(बुखारी—मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे दो कुसुम के रंग के कपड़े पहने देखे तो फरमाया क्या तुमने अपनी माँ के हुक्म से पहना है मैंने अर्ज किया मैं उसको धो ड़ालूं। फरमाया नहीं बल्कि इसको जला दो।

शेष पृष्ठ .....39...पर

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

दादा आदम अलैहि० और इब्लीसे लईन

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

दादा आदम अलै— हिस्सलाम की रचना (तख़्लीक़) और इब्लीसे लईन की अवज्ञा (नाफरमानी) का बयान पवित्र कुरआन में कई जगह आया है, हम यां सूरे हिज्र का बयान लिखते हैंः—

अनुवादः— ''और हमने सड़े हुए गारे से जो (सूख कर) खनखनाने लगता है आदमी को पैदा किया। और हमने जिन्नों को उससे पहले लू की आग से पैदा किया। और ऐ पैग़म्बर! उस वक्त को याद करो जब कि तुम्हारे परवरदिगार ने फ़िरिश्तों से कहा कि मैं सड़े (खनखनाते) हुए गारे से एक आदमी को पैदा करने वाला हूँ। तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सज्दे में (दण्डवत में) गिर पड़ना। चुनांचे (आदम अलैहि0 के पैदा होते ही) सब के सब तमाम फ़िरिश्तों ने (ह़ज़रत आदम अलैहि0) को सज्दा किया। मगर इब्लीस शैतान ने सज्दा करने वालों में शामिल होने से इन्कार किया। मगर इस पर अल्लाह ने कहा ऐ इब्लीस! तुझको क्या हुआ कि तू सज्दा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? वह बोला कि मैं ऐसे शख़्स को सज्दा न करूंगा जिस को तूने सड़े (सूख कर) खनखनाते हुए गारे से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, पस तू यहां (जन्नत) से निकल, तू फिटकारा हुआ है। और अन्तिम न्याय (यानी आखिरत) के दिन तक तुझ पर फिटकार बरसेगी, शैतान ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार! मुझ को उस दिन तक की मुहलत दे जब कि मुर्दे उठा कर खड़े किये जायेंगे। अल्लाह ने कहा कि अच्छा तुझ को मुहलत दी गयी, उसी ठहरे हुए (नीयत) क़ियामत के दिन तक के लिए। शैतान ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार! जैसी तूने मेरी राह मारी मैं भी ज़मीन में इन आदम की औलादों को बहारें दिखाऊँगा और इन सबको राह से बहकाऊँगा। सिवाय उनके जो तेरे चुने बन्दे हैं (उन पर मेरा बस न चलेगा)। अल्लाह ने कहा कि यही मेरी बन्दगी है। मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। जो मेरे सेवक हैं उन पर किसी तरह का ज़ोर न होगा सिवाय उन पर जो तेरे पीछे चल कर गुमराहों में से हो जायें। और ऐसे तमाम गुनहगार लोगों के लिए हमारी ओर से दोज़ख़ का वादा है। उस के सात दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के

लिए उन दोज़ख़ी लोगों की जमातें अलग अलग होंगी। इन नरकवालों के ख़िलाफ जो परहेज़गार हैं वे जन्नत के बाग़ों और चश्मों में होंगे। उन से कहा जायेगा कि सलामती के साथ इतमीनान से इन बागों में आओ। और उनके दिलों में जो कुदूरत (मालिनता) होगी उसको हम दूर कर देंगे और वे एक दूसरे के आमने–सामने तख्तों पर भाई–भाई के समान बैठेंगे।

(अलहिज्रः 26–47)

इनशाअल्लाह जन्नत में हज़रत अ़ली रज़ि0 और हज़रत मुआ़विया रज़ि0 पास पास बैठे होंगे उनके दिल यहां भी बाहम साफ़ थे वहां और साफ हो जाऐंगे।

सूरे अअ़राफ़ का यह बयान भी पढ़ियेः–

अनुवादः ''और हमने (अल्लाह ने) आदम से कहा कि ऐ आदम! तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो, और जहां से चाहो खाओ, मगर इस दरख़्त के पास न फटकना, नहीं तो तुम भी अन्यायियों में हो जाओगे। फिर शैतान ने (मियाँ–बीवी) दोनों को बहकाया ताकि उनकी पर्दगी की चीज़ें, उनसे ओझल थीं, उन पर ज़ाहिर कर दे। और कहने लगा तुम्हारे परवरदिगार ने जो इस दरख़्त (के फल खाने) से तुमको मना किया है। तो इसका कारण यही है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम दोनों फ़िरिश्ते बन जाओ या हमेशा जीने वालों में से हो जाओ। और उसने क़सम खाई कि मैं तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूं। ग़रज़ धोखा दे कर शैतान ने उनको मना किये गये दरख़्त की ओर रुजू कर दिया। तो ज़्यों ही उन्होंने उस दरख़्त का मज़ा चखा तो दोनों के पर्दे की चीज़ें उन पर ज़ाहिर हो गई और पर्दे का ध्यान आते ही वह अंग ढकने के लिए बहिश्त के पेड़ों के पत्ते अपने ऊपर ढाकने लगे। और तब उनके पालन कर्ता ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुम को इस वृक्ष की मनाही नही की थी और तुम से नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार! हमने अपने आप अपने ऊपर ज़ुल्म किया, और अगर तू हमको क्षमा नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो यक़ीनन हम घाटे में हो जायेंगे। इस पर अल्लाह ने कहा कि तीनों (तुम मियाँ बीवी और शैतान तीनों जन्नत से) नीचे उतर जाओ, तुममें एक का एक दुश्मन हो। और तुमको एक खास वक़्त तक ज़मीन पर रहना है और एक वक़्त तक ज़िन्दगी बसर करना है। और फरमाया कि इस ज़मीन में ही तुम सब ज़िन्दगी बिताओगे और उसी में मरोगे, और उसी में

से क़ियामत के दिन निकाल कर खड़े किये जाओगे।

(अलः अअ़राफः 19–24)

''फिर आदम ने अपने पालनकर्ता से कुछ बातें प्राप्त कीं तो अल्लाह ने उनकी तौबा मान ली! बेशक वह बार–बार क्षमा करने वाला बेहद मेहरबान है''।

(सूरः अल बक़रह–35)

इस बयान से ज्ञात हुआ कि जो इंसान ग़लती करे गुनाह करे उस पर लज्जित न हो अपितु तर्क प्रस्तुत करने लगे वह शैतान की राह पर है लेकिन जो इंसान अपनी ग़लती अपने गुनाह पर लज्जित हो और अल्लाह से क्षमा मांगे तो वह बाबा आदम अलैहिस्सलाम के मार्ग पर है। हम को चाहिए कि हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के मार्ग पर रहें। और शैतान को अपना दुशमन मानें और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ा करें।

❖❖❖

कुर्आन की शिक्षा.....

5. इन काफिरों का हाल यह है कि सच्चाई की कोई निशानी देखते हैं तो कहते हैं कि हम तो उस समय मानेंगे जब हम पर वह्य आए और हम सुनें अल्लाह हमारे सामने आ जाए और तरह तरह की खुराफ़ात बकते हैं न मानने का बहाना करते हैं।

6. साधारण रूप से यह समझा जाता था कि आदमी जितना ऊपर जाएगा उसको ताज़ा हवा मिलेगी मगर यह कुर्आन का चमत्कार है कि चौदह सौ साल पहले उसने बता दिया कि ऊपर जाने से दम घुटता है, जो अब वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है ऊपर ऑक्सीजन कम होने की वजह से दम घुटने लगता है, यह मिसाल दी गई है न मानने वालों की कि सत्य को स्वीकार करने के लिए उनके सीने तंग हो जाते हैं और शिर्क उनके सिर थुप जाता है जो सबसे बड़ी गंदगी है।

7. जिन्नों और इन्सानों में से जो शैतान हैं जब पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि यह सब तो हमने दुन्या का काम निकालने के लिए किया था, इसका मक़सद इबादत न था।

8. इस आयत की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले जिन्नातों में भी बहुत से पैग़म्बर हुए हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि उनमें विधवत रूप से पैग़म्बर नहीं आये, इंसानों में जो पैग़म्बर आए वे ही उनमें भी तब्लीग (धर्म प्रचार) करते थे और जो जिन्नात मुसलमान हो जाते वे विधवत रूप से प्रतिनिधि बन कर दूसरे जिन्नातों में तबलीग़ किया करते थे।

9. इसी सूरह में आयत नं0 23 में गुज़र चुका है कि वे पहले झूठ बोलने की कोशिश करेंगे मगर जब खुद उनके हाथ पांव गवाही देने लगेंगे तो वे भी सच कहने पर मज़बूर हो जाएंगे।

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

–पिछले अंक से आगे

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) – अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

नबूवत (दूतकर्म)का असल कारनामा

हमारी आधुनिक सभ्यता और मौजूदा वैचारिक नेतृत्व मानवः–

समाज को जिम्मेदारियाँ संभालने वाले व्यक्ति तैयार करने और इन्सान की किरदार साजी में बुरी तरह नाकाम रही है। वह सूरज की किरणों को कैद कर सकती है। वह अन्तरिक्ष यात्रा के लिए सुरक्षित और तेज रफ़्तार उपकरण मुहैया कर सकती है। वह अणुशक्ति से बड़े–बड़े काम ले सकती है, वह मुल्क से गरीबी दूर कर सकती है, वह पूरे–पूरे राष्ट्र को साक्षर बना सकती है। उसकी इन कामयाबियों से किसी को इन्कार की गुंजाइश नहीं। लेकिन वह नेक और आस्था वाले लोग पैदा करने में बिल्कुल असमर्थ है और यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी और दुर्भाग्य है। और इसी कारण सदियों की मेहनतें बर्बाद हो रही हैं। सारी इन्सानी दुन्या निराशा और बिखराव का शिकार है। और अब उसका ज्ञानविज्ञान पर से भी विश्वास उठ रहा है। आशंका है कि दुन्या में एक तीव्र प्रतिक्रिया का आन्दोलन और ज्ञान व सभ्यता के ख़िलाफ़ बग़ावत के दौर की शुरुआत न हो जाये। फसादी लोगों ने मासूम और नेक साधनों को भी फसादी व तोड़–फोड़ का आला बना दिया है। आधुनिक सभ्यता की कश्ती मौजों की ताब नहीं रखती, उसका हर तख़्ता घुन खाया हुआ और दीमक का चाटा हुआ है। कमज़ोर तख़्तों से कोई उम्दा व मजबूत बेड़ा तैयार नहीं हो सकता। यह भ्रम है कि कमज़ोर तख़्ते अलग–अलग फासिद, कमज़ोर और अविश्सनीय है, लेकिन जब इनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाये और उनसे कोई सफीना (बेड़ा) तैयार किया जाये तो यह ठीक हो जाते हैं। डाकू और चोर अलग–अलग तो रहजन और चोर हैं लेकिन जब वह अपनी पार्टी बना लें तो वह पासबानों और जिम्मेदार इन्सानों की पवित्र पार्टी हैं।

नये वैचारिक नेतृत्व ने जो व्यक्ति दुन्या को दिये हैं वह ईमान व यक़ीन (आस्था व विश्वास) से खाली, मानव –आत्मा से वंचित, नैतिक अनुभूति से महरूम, प्रेम और निष्ठा के भावार्थ से अपरिचित, मानवता की प्रतिष्ठा और सम्मान से गाफिल हैं। वह या तो स्वाद व सम्मान के फल्सफः से वाक़िफ़ हैं या फिर राष्ट्रवाद और देशभक्ति के भावार्थ से परिचित हैं इस तरह के लोग चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुखिया हों या कम्युनिस्टिक

व्यवस्था के जिम्मेदार कभी कोई स्वस्थ समाज, शान्तिपूर्ण माहौल और खुदा से डरने वाली पाकबाज़ सोसाइटी कायम नहीं कर सकते, और उन पर खुदा की सृष्टि की किस्मत के बारे में कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस दुन्या में अत्यन्त नेक लोग और अत्यन्त नेक समाज सिर्फ नबूवत ने तैयार किया है और उसी के पास दिल को फेरने और गरमाने, मन को झुकाने और ज़माने, नेकी और पवित्रता की महब्बत, और गुनाह और बदी से नफरत पैदा करने, धन दौलत, मुल्क व सल्तनत, मान सम्मान, रियासत व बरतरी का जादुई आकर्षण का मुकाबला करने की ताक़त पैदा करने की क्षमता है। लोग जो इन क्षमताओं के मालिक हों दुन्या को बर्बादी से और आधुनिक सभ्यता को तबाही से बचा सकते हैं। नबूवत ने दुन्या को साइंस का ज्ञान नहीं दिया, ईजादें नहीं दीं, उसका कारनामा यह है कि उसने दुन्या को वह लोग दिये जो स्वयं सही रास्ते पर चल सकते हैं और दुन्या को चला सकते हैं और हर अच्छी चीज़ से स्वयं नफा उठा सकते हैं, दूसरों को पहुंचा सकते हैं और जो हर शक्ति और वरदान को ठिकाने लगा सकते हैं, जो जीवन के उद्देश्य से वाकिफ और पैदा करने वाले से अवगत हैं और उसकी जात से लाभान्वित होने और उससे और अधिक नेअ़मतें हासिल करने की योग्यता रखते हैं। उन्हीं का वजूद इन्सानियत की असल पूँजी और उन्हीं की दीक्षा नबूवत का असल कारनामा है।

ख़त्म नबूवत का अक़ीदा (विश्वास) एक इन्सानी ज़रूरतः–

यह अक़ीदा कि दीन (धर्म) मुकम्मल हो चुका है और अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुदा के आख़िरी पैग़म्बर और ख़ातिमुन्नबीईन हैं और यह कि इस्लाम ख़ुदा का आख़िरी पैग़ाम और जीवन की पूर्ण व्यवस्था है, अल्लाह का एक इनआम है जिसको ख़ुदा ने इस उम्मत के साथ खास किया। इसीलिए एक यहूदी विद्वान ने हज़रत उमर के सामने इस पर बड़ा रश्क और हसरत व्यक्त किया और कहा कि कुर्आन की एक आयत है जिसको आप लोग पढ़ते रहते हैं, अगर वह हम यहूदियों की किताब में उतरती और हमसे सम्बन्धित होती तो हम उस दिन को जिसमें यह आयत उतरी है, अपना राष्ट्रीय पर्व बना लेते। वह आयत सूरः माइदा की यही आयत थी जिसका अर्थ हैः–

अनुवादः– *''आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन (धर्म) मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेअ़मत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए धर्म के रूप में इस्लाम को पसंद किया।*

(सूरः अल्–माइदा 3)

हज़रत उमर ने इस नेअमत की महानता से इन्कार नहीं किया सिर्फ इतना कहा कि हमें किसी नये खुशी के

दिन और त्यौहार की ज़रूरत नहीं। यह आयत खुद ऐसे मौक़े पर उतरी है जो इस्लाम में एक शानदार महासम्मेलन और इबादत का दिन है। इस मौक़े पर दो ईदें एकत्र थीं, यौमे अरफः (नौ जिलहिज्जा) और जुमा का दिन।

ख़त्म नबूवत के अक़ीदे ने इस्लाम को फूट पैदा करने वाले उन आन्दोलनों का शिकार होने से बचा लिया जो इस्लाम के दीर्घकाल इतिहास और इस्लामी जगत के विस्तृत क्षेत्रफल में समय–समय पर सर उठाते रहे। ''ख़त्म नबूवत'' के इसी घेरे के भीतर मिल्लत (मुस्लिम सम्प्रदाय) उन नबूवत के दावेदारों की चढ़ाई से सुरक्षित रही जो इतिहास के विभिन्न चरणों और इस्लामी जगत के विभिन्न भागों में पैदा होते रहे और वह उन तमाम खतरों का मुकाबला कर सकी जिनसे किसी पैग़म्बर की उम्मत इससे पहले सुरक्षित नहीं रही और इतनी लम्बी अवधि तक इसकी दीनी वहदत और यकसानी (एकता) क़ायम रही। अगर यह घेरा न होता तो यह उम्मत ऐसी अनेक उम्मतों में बंट जाती जिनमें से हर उम्मत का रूहानी मरकज़ (आध्यात्मिक केन्द्र) अलग होता, ज्ञान और सभ्यता का स्रोत अलग होता, हर एक का अलग इतिहास होता, हर एक के अलग पूर्वज और धार्मिक रहनुमा होते, हर एक का अलग अतीत होता।

ख़त्म नबूवत (नबूवत का समापन) का अक़ीदा वास्तव में मानव–जाति के लिए एक प्रतिष्ठा और विशिष्टता है। वह इस बात का ऐलान है कि मानव जाति प्रौढ़ता को पहुंच गयी है और उसमें यह योग्यता पैदा हो गयी है कि वह खुदा के आख़िरी पैग़ाम को क़बूल करे। अब मानव समाज को किसी नई वह्ई, किसी नये आसमानी पैग़ाम की ज़रूरत नहीं। इस अक़ीदे से इन्सान के अन्दर आत्मविश्वास पैदा करने में मदद मिलती है। उसको यह मालूम होता है कि दीन अपनी पराकाष्ठा पर पहुच चुका है और अब दुन्या को इससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। अब दुन्या को नई वह्ई के लिए आसमान की तरफ़ देखने के बजाय ख़ुदा की पैदा की हुई ताक़तों से फ़ायदा उठाने और ख़ुदा के नाज़िल किये हुए दीन व अख़लाक़ (धर्म व आचरण) के बुन्यादी उसूलों पर जीवन की व्यवस्था के लिए ज़मीन की तरफ़ और अपनी तरफ़ देखने की ज़रूरत है। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इंसान को पीछे की तरफ़ करने की भावना पैदा करता है, यह अक़ीदा इन्सान को अपने प्रयासों का मैदान और दिशा बतलाता है। अगर ख़त्म नबूवत का अक़ीदा न हो तो इन्सान हमेशा अनिश्चितता व अविश्वास के आलम में रहेगा। वह हमेशा ज़मीन की तरफ़ देखने के बजाय आसमान की तरफ़ देखेगा वह

शेष पृष्ठ .....39..पर

ख़िलाफ़ते राशिदा

—मौलाना गुलाम रसूल मेहर

—प्रस्तुतिः गुफ़रान नदवी

रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुन्या से तशरीफ़ ले गये तो उम्मत के कारोबार को चलाने और सारे नज़्म व नस्क (व्यवस्था) को संभालने का प्रबन्ध ज़रूरी था, इस काम के लिए हज़रत अबू बक्र रज़ि0 निर्वाचित हुए जिनका लक़ब (उपाधि) ''ख़लीफ़ा—ए—रसूलुल्लाह'' रखा गया, हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के बाद दीगरे (उत्तरोत्तर) चार ख़ुलफ़ा माने गये, उनको ख़ुलफ़ाए राशिदीन कहते हैं। अर्थात रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बनाई हुई नेक राह पर चलने और उम्मत को चलाने वाले ख़ुलफ़ा, उनकी खिलाफ़त "ख़िलाफ़ते राशिदा'' कहलाती है, यह ज़माना सिर्फ़ तीस बरस रहा, जिसका विवरण निम्न लिखित हैः—

1— हज़रत अबू बक्र रज़ि0 की ख़िलाफ़त 11 हिजरी से सन् 13 हिजरी तक, खिलाफ़त काल 2 वर्ष 3 महीने।

2— हज़रत उमर रज़ि0 की ख़िलाफ़त सन् 13 हिजरी से सन् 24 हिजरी तक, ख़िलाफ़त 10 वर्ष 6 महीने।

3— हज़रत उस्मान रज़ि0 की ख़िलाफ़त सन् 24 हिजरी से सन् 35 हिजरी तक, ख़िलाफ़त 11 वर्ष 11 महीने।

4— हज़रत अली रज़ि0 की ख़िलाफ़त सन् 35 हिजरी से सन् 40 हिजरी तक, ख़िलाफ़त 4 वर्ष 9 महीने।

5— हज़रत हसन रज़ि0 की ख़िलाफ़त सन् 40 हिजरी से सन् 41 हिजरी तक, ख़िलाफ़त 6 महीने।

ख़लीफ़—ए—रसूल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 :—

ख़लीफ़—ए—रसूल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 मक्का के धनवान व्यापारी थे, अपने इल्म, तजुर्बे अनुभव, अच्छे व्यवहार की वजह से मक्का वाले उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ शुरु ही से बेहद महब्बत व अक़ीदत थी, आप सल्ल0 ही के साथ उठते बैठते थे। इस्लाम की दावत पाते ही मुसलमान हुए, मर्दों में यह सबसे पहले मुसलमान थे, उन्हीं की दावत से कई पाक हसतियां इस्लाम लायीं, जो बाद में आस्माने इस्लाम पर चाँद तारे बन कर चमकीं, इस्लाम लाने के वक्त से हज़रत अबू बक्र रज़ि0 का माल इस्लाम की राह में ख़र्च होने लगा, तेरह बरस तक मुसलमनों को कुरैश के हाथों जो मुसीबतें उठानी

पड़ीं, हज़रत अबूबक्र रज़ि0 उन सब में बराबर शरीक रहे, हिजरत के सफ़र में रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हम रकाब (सह यात्री) थे, उस वक़्त हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के घर में जो रूपया था वह सब साथ ले लिया और निःसंकोच राहे ख़ुदा में ख़र्च कर डाला, ख़ुद रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसके माल और रफ़ाक़त का मैं सबसे बढ़ कर आभारी हुआ वह अबू बक्र रज़ि0 हैं। तबूक के लिए तैयारी का एलान हुआ तो हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने घर का पूरा सामान उठा कर रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पेश कर दिया जब पूछा गया अहलो अयाल (बीवी बच्चों) के लिए क्या छोड़ा? अर्ज़ किया ख़ुदा और उसका रसूल सल्ल0।

ख़िलाफ़त का पहला ख़ुतबा (भाषण) :-

रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ही ने उम्मत को संभाला, पहले दिन 23 हज़ार आदमियों ने बैयत की, बैयत के वक़्त जो तक़रीर फ़रमाई वह याद रखने के काबिल है, उसमें इस्लामी हुकूमत के बुन्यादी उसूल (मौलिक सिद्धान्त) आप रज़ि0 ने बयान फ़रमा दिये, कहाः—

''लोगो! मुझे तुम पर हाकिम बनाया गया है, हालांकि मैं तुम सबसे बेहतर नहीं हूं अगर अच्छे काम करूँ तो मेरी मदद करो, बुराई की तरफ़ जाऊँ तो मुझे सीधा कर दो, सच्चाई अमानत है और झूठ ख़यानत है। तुम में से कमज़ोर मेरे नज़दीक तभी शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मैं उसका हक वापस दिला दूँ, इन्शाअल्लाह, और तुम में से शाक्तिशाली आदमी मेरे नज़दीक कमज़ोर है, यहां तक कि दूसरों के हक़ उससे वापस दिला दूं इन्शा अल्लाह, जो कौम ख़ुदा की राह में जिहाद छोड़ देती है उसे ख़ुदा ज़लील व ख़ुवार (अपमानित) करता है, जिस क़ौम में बदकारी फैल जाती है उसकी मुसीबतों को ख़ुदा बढ़ा देता है, मैं ख़ुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फ़रमाबरदारी करुँ, तो मेरी फ़रमाबरदारी करो, ख़ुदा और रसूल की नाफ़रमानी करूँ तो तुम पर मेरी फरमाबरदारी फ़र्ज़ नहीं, नमाज़ के लिए खड़े हो जाओ, खुदा तुम पर रहम करे''।

देखो कितना सादा सरल और संक्षिप्त ख़ुतबा है, सारी बुन्यादी बातें इसमें आ गई।

शेष पृष्ठ .....35...पर

सहाबा का मक़ाम व मरतबा

—मौलाना सय्यिद बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी

—हिन्दी लिपिः हुसैन अहमद

फरके मरातिब :–

सहा—बए—किराम में फरके मरातिब है, जिस का ज़िक्र कुर्आन मजीद में भी है और अहादीस में भी, इरशाद है, अनुवादः ''तुम में जिन लोगों ने फत्ह (मक्का) से पहले खर्च किया और क़िताल किया वह (बाद वालों के) बराबर नहीं, वह उन के मुकाबले में बहुत बुलन्द मुक़ाम रखते हैं जिन्होंने फत्ह़ के बाद ख़र्च किया और क़िताल किया''। (अल—हदीदः10)

लेकिन यह भी इरशाद है कि, अनुवादः ''और भलाई का वादा तो अल्लाह का हर एक से है''। (अल—हदीदः 10)

सहाबा का तज्क़िरा फरके मरातिब के साथ दूसरी आयत में इस तरह बयान हुआ है अनुवादः ''और मुहाजिरीन व अन्सार में से पहले सबक़त करने वाले और जिन्होंने बेहतर तरीके पर उनकी पैरवी की अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हुए''।

यह उस अलीम व खबीर का परवा—नए—रज़ामन्दी है जो आगे पेश आने वाले हालात से ख़ूब—ख़ूब वाक़िफ है।

इसमें शुब्हा नहीं कि सहाबा में दरजात का बहुत तफावुत है, उन में सिद्दीक़े अक्बर रज़ि0 को जो मुक़ाम हासिल है वह किसी और सहाबी को हासिल नहीं, बाज रिवायतों से मालूम होता है कि सारी उम्मत के आमाल एक पलड़े में रख दिये जाएं और सिद्दीके अक्बर के दूसरे पलड़े में तो सिद्दीके अक्बर का पलड़ा झुक जाएगा, उनके बाद हज़रत उमर फिर हज़रत उस्मान फिर हजरत अली का मुकाम है, यह चारों हज़रात सहाबा में भी अफ़जल तरीन दर्जा रखते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अनुवादः ''तुम अपने ऊपर मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन के तरीक़े की पैरवी लाज़िम कर लो, मज़बूती से उसको थाम लो और दाँतों से पकड़ लो''।

फिर साबक़ीन अव्वलीन में मुहाजिरीन व अन्सार हैं फिर वह हैं जो सुल्हे हुदैबिया के दौरान इस्लाम लाए फिर मुक़ाम है उन हज़रात का जो फत्ह़ मक्का के मौके पर इस्लाम में दाखिल हुए।

हज़रत मुआविया के मुकाबले में हज़रत अली का मुक़ाम बहुत बुलन्द है, लेकिन जो भी हैं वह सबके सब उम्मत के सरताज हैं, और उनमें से हर एक का मुक़ाम बड़े से बड़े (गैर सहाबी) वली से बढ़ कर है।

मुक़ामे इम्तियाज़ :–

सहाबा रज़ि0 के मुक़ाम को उम्मत के दूसरे अफराद के काम और मुक़ाम पर क़ियास नहीं किया जा

सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुहबत के साथ एक लम्हे का ईमान उन को उस बुलन्दी पर पहुंचा दिया कि कुर्आन मजीद ने दरजनों मुक़ामात पर उसको साफ कर दिया, यहां तक कि उनमें जिन हज़रात से गलतियां हुईं उन को भी अल्लाह ने मुआफ किया।

इसकी एक मिसाल हज़रत हातिब बिन अबी बल्तअ़ा की हैः—

''सहीह बुखारी में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फत्हे मक्का के मौक़े पर हज़रत अली रज़ि0, हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद रज़ि0 और हज़रत ज़ुबैर रज़ि0 को हुक्म दिया कि तुम लोग रौ—जए—खाख तक जाओ, वहां तुम्हें एक औरत मिलेगी जिसके पास एक खत है, तो तुम लोग वह खत उससे हासिल कर लो, हज़रत अली रज़ि0 फरमाते हैं कि लोग तेज़ी से घोड़ों पर सवार हो कर वहां पहुँचे, और हम ने वहां उस औरत को भी पाया, तो हम ने कहा तुम्हारे पास जो खत है उसको हमारे हवाले कर दो, औरत ने जवाब दिया मेरे पास कोई खत नहीं है, हमने कहा, तुम खत निकालती हो या हम खुद तुम्हारी तलाशी लें? यह कहने पर उसने अपनी चोटी से खत निकाल कर दिया, और हम उस खत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में ले कर हाज़िर हुए, इस खत का राज़ यह था कि हातिब बिन अबी बलतअ़ा की जानिब से बाज़ मुश्रिकीने मक्का के नाम थ, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाज़ इरादों की इत्तिला थी, यह खत देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हातिब से मुखातब हुए और फरमाया हातिब! यह क्या है? उन्होंने जवाब दिया ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बारे में उजलत न फरमाइये, मेरा किस्सा यह है कि मैं कुरैश का हलीफ था और उसके सिवा उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और मेरे अलावा जो दूसरे मुहाजिरीन आपके साथ हैं, तो उनके अक़्रबा मक्के में मौजूद हैं, जो उनके घर वालों और माल की हिफ़ाज़त कर सकते हैं, इसलिए मैं ने नसबी तअल्लुक़ न होने की वजह से उन से इस जरिये से उनकी हमदर्दी हासिल करना चाही, और सच्ची बात यह है कि मैंने न कोई कुफ्रिया अमल किया है और न ही मुरतद हुआ हूँ, और न ही इस्लाम की दौलत हाथ आने के बाद मैं कुफ्र से रज़ामन्द हुआ हूँ। हातिब के इस जवाब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''तुम सच कहते हो, हज़रत उमर रज़ि0 ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आप इजाज़त दें तो मैं इस मुनाफिक़ का सर क़लम कर दूँ?'' आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया यह शुरा—कए—बद्र में से है, और तुम को क्या मालूम शायद कि अल्लाह ने अहले बद्र के

इरादों से वाक़िफ़ हो कर कहा हो कि तुम जो चाहो करो मैंने तुम्हें बख्श दिया है''।

इसी तरह दूसरा वाकिआ यह है कि हज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि0 पर जब मुनाफिक़ीन ने तुहमत लगाई और चन्द हज़राते सहाबा की ज़बानों पर भी गलती से नामुनासिब कलिमात आ गये तो अल्लाह ने उनको तंबीह फरमाई, लेकिन उसके साथ दुन्या व आखिरत में उनके साथ अपने फज़्ल का एलान भी फरमा दिया। जो अल्लाह ने तमाम सहाबा के साथ तै कर दिया है। इरशाद होता है, अनुवादः ''अगर तुम पर दुन्या व आखिरत में अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रहमत न होती तो जिस चीज में तुम पड़ गये थे उसमें तुम्हें बड़े अज़ाब का शिकार होना पड़ता''।

इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि अल्लाह तआला ने सहाबा के लिए फज़्ल तै फरमा दिया है, और उनकी गलतियों को मुआफ़ कर दिया गया है, अब अगर कोई उनको बयान करता है तो अपने लिए गड्ढा खोदता है।

मौलाना सय्यिद अब्दुल्लाह हसनी रह0 लिखते हैंः ''इसमे कोई शुब्हा नहीं कि सहा–बए–किराम भी इन्सान थे और गुनाहों का सुदूर उनसे भी मुम्किन था, उस्वा की तक्मील के लिए ज़रूरी और मेअ़यारी तौबा रुजूअ व इनाबत इलल्लाह के लिए लाज़िमी था।

जिन सहाबा से गुनाहों का सुदूर हुआ फिर उस पर जो उनको खलिश और अपने किये पर जो नदामत हुई, वह सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है, माइज़ और गामिदीया के वाकिआ़त शाहिदे अदल हैं कि उनको अपने गुनाह पर ऐसी नदामत हुई और उस के लिए उन्होंने ऐसी कुर्बानी दी कि रहमते इलाही को जोश आया और उन पर ऐसी रहमत की बारिश हुई कि अगर पूरा शहर मदीना उसके जरिये अपनी बख्शिश करवाना चाहता तो हो जाती।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हद जारी करते वक़्त एक साहिब के नाज़ेबा कलिमात सुन कर मना फरमाया और उनकी तौबा की क़बूलीयत और उस पर अल्लाह तआला की मगफ़िरत व रहमत को इस तरह बयान फरमाया कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी तौबा को मेअ़यार क़रार दिया कि उन्होंने ऐसी तौबा की है कि अगर अहले मदीना पर तक़्सीम कर दी जाये तो उन सब को अपने साया में ले ले, हज़रत अबू लुबाबा से लगज़िश हुई, मस्जिद के खम्बे से अपने को बांध दिया और एक हफ़्ता इसी तरह रहे यहां तक कि क़बूले तौबा का मुज़्दा सुना और परवा–नए–रहमत पा लिया, ऐसा गुनहगार बन्दा जो इस अन्दाज़ की तौबा करने वाला हो वह तो महबूबे ख़ुदा बन जाता है।

वहशी जिनके सर पर हज़रत हम्ज़ा रज़ि0 के क़त्ल का बोझ था, अगरचे उन्होंने कुफ़्र की हालत में ऐसा किया था फिर भी मारे शर्मिन्दगी व नदामत के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने न आते थे, वह बोझ उस वक़्त उतरा जब उन्होंने मुसैमा कज़्ज़ाब को जो दुश्मने ख़ुदा व रसूल था, क़त्ल किया और मुसलमानों को बड़े इम्तिहान से बचा लिया। अल्लाह उन से राज़ी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हुए, न जाने कितने वाक़िआत हैं ''हमारे सहा–बए–किराम से लगज़िशें हुईं, लेकिन उन पर नदामत के ऐसे आँसू बहाये और उसके कफ्फारे के लिए ऐसे मुजाहिदात किये कि उम्मत के लिए क़ियामत तक के लिए नमूना छोड़ गये''।

जर्ह से मा व राः–

इमाम इब्ने हिब्बान रह0 लिखते हैं: ''अगर कोई कहे आपने सहाबा के बाद वालों की जर्ह की, तो सहाबा के तअल्लुक़ से इस मेअ़यार को क्यों नहीं अपनाया? सहव् व खता का, जिस तरह बाद के मुहद्दिसीन से सुदूर हुआ, हज़राते सहाबा से भी हुआ होगा? तो उससे कहा जाएगा कि अल्लाह तआला ने सहा–बए–किराम के रुत्बे को इस दर्जे मुनज़्ज़ह (स्वच्छ) कर दिया है कि किसी ऐब जोई करने वाले के लिए कोई गुन्जाइश नहीं छोड़ी और उनको उस मुक़ाम पर पहुंचा दिया कि कोई हर्फ गीरी करने वाला उनमें कोई ऐब नहीं निकाल सकता, उनको सितारों के मानिन्द, दूसरों के लिए काबिले इक़्तिदा बनाया, अल्लाह पाक का इरशाद है अनुवादः ''इबराहीम के जियादा हक़दार तो वह लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की और यह नबी और जो उन पर ईमान लाए और अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है''।

(आले इमरानः 68)

नीज़ फरमाया, अनुवादः ''जिस दिन अल्लाह नबी को और उनके साथ ईमान वालों को रुस्वा नहीं फरमाएगा''।

(अत्तहरीमः 8)

अब जिस के बारे में अल्लाह तआला ने ख़बर दी कि क़ियामत के दिन उस को रुस्वा न करेगा और मिल्लते इबराहीमी पर उसके गामज़न होने की शहादत दे, उस पर जर्ह करके उसको झूटा क़रार देना जाइज़ न होगा, इसलिए कि यह तो मुहाल है कि अल्लाह तआला फरमाये ''जिस दिन अल्लाह नबी को और उनके साथ ईमान वालों को रुस्वा नहीं फरमाए'' और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''जो जान बूझ कर मुझ पर झूट बोले वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले''।

फिर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस शख्स के बारे में वाजिबी तौर पर जहन्नम रसीद होने की बात कही, जिसके मुतअल्लिक़ अल्लाह तआला की ख़बर है कि क़ियामत में उसको रुस्वा न करेगा, यह

कैसे मुम्किन है? वाकिआ़ यह है कि इस हदीस में मुखातब सहाबा के बाद के लोग हैं, उसके बरखिलाफ जो लोग नुज़ूले कुर्आन के वक़्त मौजूद थे, उनको नबी की सुहबत का शरफ मिला, उनकी बुराई करना जाइज़ नहीं, उनको मजरूह करना ईमान की ज़िद है, उनमें से किसी की तौहीन व तज़्लील करना ही निफाक़ है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद सब से बेहतर लोग यही हैं, यह फैसला है उस ज़ाते बरकात का जो अपने नफ़्स की ख्वाहिश से नहीं बोलता, उसकी बात ''वही'' होती है, जिन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया मैं ने वह अमानत सुपुर्द की जिस की तशरीह व वज़ाहत का काम मिन जानिब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मिला था, वह हज़रात ब दरज–ए–औला इस बात के अहल हैं कि उन की जर्ह व क़दह न की जाये, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहा–बए–किराम को यह पैग़ाम महज़ इस वजह से सुपुर्द किया और फरमाया ''जो हाजिर है गैर हाज़िर को (मेरा पैग़ाम) पहुंचा दे''। कि वह आपके नज़दीक़ सच्चे थे, उनकी गवाही मोतबर थी, अगर वह इस क़ाबिल न होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़तअन यह हुक्म न देते कि जो लोग हाज़िर हैं, गैर हाज़िर लोगों तक पहुंचा दें, वरना खुद रिसालत मख्दूश हो जायेगी। यह क्या कम शरफ व एज़ाज़ की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किस की तअ़दील फरमाएं, सहा–बए–किराम के बाद के लोग इस दर्जे के नहीं, इसलिए कि सहाबी ने जब अपने बाद वाले को पहुंचाया तो मुम्किन है कि यह दूसरा शख्स मुनाफिक़ या बिदअ़ती या गुमराह हो, जो रिवायत में कतर व ब्योंत कर दे, लोगों को गुमराह कर दे, इसीलिए हमने सहाबा और गैर सहाबा में फर्क़ किया, क्योंकि अल्लाह तआला ने सहाबा के रुत्बों को बिदअत व मुगराही से महफूज़ कर दिया है''।

हासिल यह है कि लफ्ज़ ''सहाबी'' खुद अपने अन्दर एक तक़द्दुस रखता है, पूरी चौदह सौ साला तारीख़ में कभी भी उसके तक़द्दुस को मजरूह नहीं किया गया, यह एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें वही हज़रात दाख़िल हैं जिन को अल्लाह तआला ने ईमान व सुहबत के लिए चुना और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इरशाद है– अनुवादः ''और यक़ीनन अल्लाह ईमान वालों को भी अच्छी तरह जान कर रहेगा और मुनाफिक़ों को भी अच्छी तरह जान कर रहेगा''।

शेष पृष्ठ .....39...पर

२६ जनवरी, गणतंत्र दिवस

—राशिदा नूरी

आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, यह भारत के लिए बड़ा शुभ तथा महत्वपूर्ण दिन है इसी दिन बाबा साहब भीम राव आम्बेडकर का लिखा भारत संविधान सम्पूर्ण हो कर लागू किया गया था, भारत का संविधान बड़ा प्रसिद्ध है इस संविधान में भारत के हर व्यक्ति को उचित अधिकार दिया गया है इस संविधान में हर धर्म हर कल्चर हर भाषा को फलने फूलने का अधिकार दिया गया है इस दिन हम सब राष्ट्र ध्वज फहराते हैं राष्ट्र गान गाते हैं, गणतंत्र से सम्बन्धित भिन्न–2 कार्यक्रम करते हैं कहीं खेलों के प्रोग्राम होते हैं तो कहीं दौड़, कूद, की प्रतियोगिताएं होती हैं, तो कहीं मुशायरा होता है, डॉ0 इक़बाल प्रसिद्ध कवि ने भारत के लिए उर्दू भाषा में एक राष्ट्रगीत (क़ौमी तराना) लिखा था, आओ हम भी वह राष्ट्रीय गीत (क़ौमी तराना) गा कर आनन्द लें।

राष्ट्रीय गीत/क़ौमी तराना

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा
हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिताँ हमारा
पर्वत वह सबसे ऊँचा हम साया आसमाँ का
वह संतरी हमारा वह पासबाँ हमारा
गुर्बत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में
समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा
गोदी में खेलती हैं जिसकी हज़ारों नदियाँ
गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा
यूनानो मिश्र रूमा सब मिट गये जहाँ से
अब तक मगर है बाक़ी नामो निशाँ हमारा
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माँ हमारा
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोस्ताँ हमारा
इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में
मालूम क्या किसी को दर्दे निहाँ हमारा

❖❖❖

आप के प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः दो आदमी मिल कर एक कारोबार करते हैं, उन दोनों में एक के पास पैसे होते हैं और दूसरे मेहनत करते हैं और नफा आधा आधा बाँटते हैं, क्या इस तरह कारोबार करना इस्लाम में जाइज़ है?

उत्तरः अगर एक या उससे ज़ियादा अफराद सरमाया लगाएँ और दूसरा शख्स उस पर मेहनत कर ले और पहले से यह बात तै हो जाये कि जो भी नफा हासिल होगा वह आधा–आधा या किसी और मुकर्ररा शरह के मुताबिक तक़्सीम हो जायेगा तो यह सूरत जाइज़ है, उस को शरीअते इस्लामी में ''मुज़ारबत'' कहते हैं।

(हिदायाः 7/414)

प्रश्नः अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम से सरमाया ले कर कारोबार करे और आपस में यह तै करे कि जो भी नफा होगा, दोनों बराबर बराबर तक़्सीम कर लेंगे, क्या गैर मुस्लिम के साथ इस तरह मुआमला करना दुरुस्त है?

उत्तरः एक शख्स मेहनत करे और दूसरा सरमाया लगाये और नफा में दोनों शरीक हों, यह मुआमला इस्लामी शरअ़ में ''मुजारबत'' का मुआमला कहलाता है, इसमें मुस्लिम व गैर मुस्लिम की कोई क़ैद नहीं बल्कि मुआमला मुसलमान के साथ भी किया जा सकता है और गैरमुस्लिम के साथ भी, बस ज़रूरी सिर्फ इतनी बात है कि नफा का तनासुब तै किया जाये, नफा की कोई कतई मिक़्दार मुतअ़य्यन न की जाये, बहर हाल यह सूरत शरअ़न जाइज़ है।

प्रश्नः एक शख्स ने अपने एक दोस्त को कारोबार के लिए एक खास मिक़्दार में रक़म दी, मसलन एक लाख, सरमाया देने वाला यह कह रहा है कि आप इस से कारोबार करें, आप को नफा हो या नुक़्सान मुझे इससे मतलब नहीं, बस मुझे हर माह दस हज़ार रूपये बतौरे नफ़ा के दे देना, फरीक़े सानी इस के लिए तैयार है, क्या इस्लामी शरअ़ में नफ़ा की मिक़्दार मुतअय्यन करके कारोबार करना दुरुस्त है?

उत्तरः शरीअते इस्लामी में सरमायाकारी का वही तरीक़ा जाइज़ है जिसमें सरमाया लगाने वाले ने नफा का तनासुब तै किया हो न कि उसकी कतई मिक़्दार, मसलन यूँ करे कि जो कुछ नफ़ा होगा उसका पचास फीसद सरमायाकार को दिया जायेगा यह न हो कि दस हज़ार रूपये माहाना या सालाना नफा दिया जायेगा, इसी तरह नुक़्सान में भी दोनों तनासुब के साथ

शरीक़ हों क्योंकि अगर नफ़ा की एक तिहाई मिक़्दार मुतअय्यन कर दी जाये और नुक़्सान के खतरे को क़बूल न किया जाये तो यह सूरत सूद में दाखिल है जो शरअन जाइज़ नहीं है।

प्रश्नः नफ़ा व नुक़्सान का मुआहदा किये बगैर दो अफराद ने शिरकत की और कारोबार में नुक़्सान हो गया, तो क्या इस नुक़्सान में दोनों शरीक़ होंगे और खास कर गैर सरमायाकार पर भी इसकी जिम्मेदारी होगी?

उत्तरः शरीअत में शिरकत का मुआमला उसी वक़्त मोतबर है जब नफा नुक़्सान में सरमायाकार और वरकिंग पार्टनर दोनों शरीक़ हों, लिहाज़ा अगर मुआमला करते वक़्त सिर्फ शिरकत की बात की गई हो और नफा व नुक़्सान में दोनों फरीक़ के शामिल होने की सराहत न हुई हो लेकिन उसूले शरअ़ के मुताबिक़ नफा के साथ नुक़्सान में भी दोनों को शरीक होना पड़ेगा, नुक्सान में शिरकत की सूरत यह है कि मुआमला की मुकर्ररा मुद्दत में जो नफा हुआ पहले उससे नुक़्सान की तलाफ़ी की जायेगी और ज़ाहिर है कि इस नफ़ा में दोनों शरीक़ हैं इस तरह नुक़्सान का बोझ दोनों पर आया, फिर अस्ल सरमाया में से नुक्सान पूरा किया जायेगा जो सरमायाकार की मिलकीयत है।

(रद्दुल मुहतारः 6/475)

प्रश्नः आज कल गाड़ी खरीदने में गवर्नमेंट को गाड़ी खरीदने का टैक्स भी अदा करना पड़ता है, क्या यह टैक्स सूद की रक़म से अदा किया जा सकता है?

उत्तरः गाड़ी तो अवाम खरीदा करते हैं लेकिन हुकूमत गाड़ी के लिए बहुत सी सुहूलतें फराहम करती है, जैसे मुफ़्त पार्किंग की सुहूलत, ट्रैफिक का पूरा निज़ाम वगैरा, गाड़ी की खरीद व फ़रोख़्त पर टैक्स आयद किया जाता है इसको उन ख़िदमात का मुआवज़ा करार दिया जा सकता है, इसलिए उसे नाजाइज़ टैक्स नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इसमें सूद की रकम देना दुरुस्त नहीं क्योंकि इसमें सूद की रक़म देना इससे खुद फाइदा उठाने के मुतरादिफ होगा।

प्रश्नः आज कल कम्पनी पर इन्कम टैक्स के अलावा सर्विस टैक्स भी आइद किया जाता है यानी कोई भी कम्पनी जो लोगों को सर्विस फराहम करती है उस पर भी टैक्स आइद होता है, क्या बैंक की सूदी रक़म से इस टैक्स की अदाइगी दुरुस्त होगी?

उत्तरः सर्विस टैक्स की नौईयत भी इन्कम टैक्स की है, इसलिए बैंक के सूद की रक़म अगर इस तौर पर हासिल हो कि किसी मज़बूरी के तहत रक़म फिक्स डिपॉजिट करानी पड़ी और सूद लेने का इरादा नहीं था, आम उसूल के तहत उसको

सूद हासिल हो गया है तो इससे सर्विस टैक्स अदा करना दुरुस्त होगा।

प्रश्नः आज कल बैंक या फाईनेंस कम्पनियाँ कार और मोटर साइकिल खरीद कर के देती हैं और क़िस्तों पर उनकी क़ीमत अदा करनी पड़ती है, उससे लोगों को बहुत सहूलत हो जाती है, क्या यह सूरत जाइज़ है?

उत्तरः जैसे सूद का लेना हराम है उसी तरह किसी शदीद मजबूरी के बगैर सूद का देना भी हराम है, बैंक जो इस तरह की चीज़ों में खरीदारी का वास्ता बनता है वह ज़ाहिर है कि आपकी मदद के जज़्बे से काम नहीं करता बल्कि उस का मक़्सद सूद हासिल करना होता है इसलिए अगर इस तरह कर्ज़ फराहम किया जाये या गाड़ी फरोख़्त की जाये कि इतनी क़ीमत अस्ल होगी और इतनी क़ीमत ब्याज की, तो यह सूरत जाइज़ नहीं है। अलबत्ता आज कल बाज़ कम्पनियों ने जीरो ब्याज की इस्कीमें भी निकाली हैं यानी गाड़ी की एक ही क़ीमत मुतअय्यन होती है जो नक़्द से ज़ियादा होती है, कम्पनी शुरुअ में अपने नफे की रक़म वसूल कर लेती है और शोरूम की अस्ल क़ीमत किस्तों पर तक़्सीम कर देती है, बाद में कोई किस्त अदा नहीं हुई तो रक़म बढ़ाई नहीं जाती बल्कि गाड़ी ज़ब्त कर ली जाती है और उसे फरोख़्त करके कम्पनी अपनी बाक़ी माँदा क़ीमत वसूल कर लेती है और जो पैसे बच जाते हैं उसे वापस कर देती है, यह सूरत शरअ़न जाइज़ है और सूद के दाइरे में नहीं आती।

प्रश्नः मौजूदा क़ानून के लिहाज़ से हासिल शुदा आमदनी से बहुत बड़ी रक़म इनकम टैक्स के तौर पर सरकार को अदा करनी पड़ती है, क्या बैंक से हासिल होने वाले ब्याज की रक़म इस मद में अदा की जा सकती है?

उत्तरः हासिल शुदा अमदनी पर हुकूमत की तरफ़ से इन्कम टैक्स लागू किया जाता है, दो शर्तों के साथ इसमें सूद की रक़म दी जा सकती है? अव्वल यह कि इख़्तियारी तौर पर सूद हासिल करने के लिए बैंक में रक़म न रखी गई हो, बल्कि नावाकफीयत या गफ्लत की बुन्याद पर फिक्स डिपॉजिट करनी पड़ी, अगर सूद हासिल करने के लिए रक़म जमा की गई हो तो उससे हासिल शुदा सूद से इन्कम टैक्स का अदा करना दुरुस्त नहीं होगा, अगर उसकी इजाज़त दे दी जाये तो उससे सूदी लेन देन की हौसिला अफ्ज़ाई होगी।

दूसरी शर्त यह है कि ब्याज की रक़म नेशनलाइज़ बैंक से हासिल हुई हो, क्योंकि ऐसी सूरत में इन्कम टैक्स लेने वाली भी हुकूमत हुई और सूद देने वाली भी, गोया हुकूमत को सूद की रक़म वापस कर दी गई और

माले हराम का यही हुक्म है कि अगर उस का मालिक मालूम हो तो उसी को रक़म वापस कर दी जाये।

प्रश्नः आज कल तिजारती कारोबार में नक़्द और उधार की फरोख़्त में कीमत में फर्क किया जाता है, मसलन अगर सामान नक़्द लिया तो दस हज़ार रूपये में मिलेगा और वही सामान उधार लिया तो वह बारह हज़ार रूपये में मिलेगा क्या यह फर्क़ सूद के हुक्म में नहीं आता है?

उत्तरः नक़्द और उधार क़ीमत में फर्क़ करना शरअ़न जाइज़ है। अल्लामा कासानी रह0 ने बदाये सनाये में इसके जवाज़ की सराहत की है। (बदाये सनाये 5/187)

अलबत्ता यह ज़रूरी है कि खरीदार कोई एक क़ीमत तै कर के ले, रही यह बात कि यह सूद के हुक्म में आता है या नहीं? तो ज़ाहिर बात है कि यह सूद नहीं है क्योंकि सूद ऐसे इज़ाफे को कहते हैं जो एक ही जिन्स की चीज़ों के तबादले में पाया जाये और पहले से इस इज़ाफे की शर्त लगा दी गई हो जब रूपये सामान के मुक़ाबले में है न कि रूपये के मुक़ाबले में तो क़ीमत कम हो या ज़ियादा सूद के हुक्म में नहीं आते।

प्रश्नः कोई खरीदार दुकानदार के पास ऐसे शख्स के साथ आये जो खरीदी जाने वाली चीज़ के बारे में जानकारी रखता हो और वह शख्स दुकानदार से कमीशन लेता हो क्योंकि उसने उसके लिए ग्राहक फराहम किया है तो यह कमीशन लेना दुरुस्त होगा या नहीं?

उत्तरः उस शख्स का दुकानदार से कमीशन लेना जाइज़ नहीं है क्योंकि यह रिश्वत के हुक्म में है, अलबत्ता अगर ताजिर किसी से कहे कि वह ग्राहक तलाश कर के लाये तो उसे उजरत दे देगा फिर वह शख्स ग्राहक लाये तो वह उजरत ले सकता है, यह कमीशन के हुक्म में नहीं होगा।

प्रश्नः एक शख्स कारोबार में किसी के माल की बिकरी करता है और उसकी रक़म में से कुछ फीसद अपने पास रख कर बाक़ी रक़म उसको दे देता है तो क्या यह जाइज है?

उत्तरः इस सूरत का जाइज़ होना और न होना आपसी मुआहदे पर निर्भर है, अगर फरोख़्त करने वाला उस का मुलाज़िम है और उसके इल्म में लाये बगैर कुछ फीसद रक़म छिपा लेता है तो यह ख़यानत है और नाजाइज़ है और अगर उस का माल वाले से यह मुआहदा है कि वह जितना फरोख़्त करेगा उस पर उतनी फीसद उजरत मिलेगी तो उसकी गुन्जाइश है।

❖❖❖

वार्तालाप एक हिन्दी के ग्रेजुऐट से

(फारसी तरकीबों को हिन्दी लिपि में लिखने के विषय में)

—इदारा

एक यादव जी जो अधेड़ उम्र के हैं मुझ से उनके अच्छे सम्बन्ध हैं उन्होंने संस्कृत विषय के साथ हिन्दी में ग्रेजुऐट किया था इस लिए उनकी हिन्दी बहुत अच्छी है। मैं ने उन से पूछा कि पाकेट और साकेत शब्दों में 'क' को 'ए' की मात्रा है परन्तु इन दोनों मात्राओं के उच्चारण में अन्तर है तो फिर लिखने में अन्तर क्यों नहीं है? उत्तर मिलाः हिन्दी भाषा में कोई भी शब्द ऐसा नहीं मिलता जिस में 'ए' की मात्रा की आधी आवाज़ निकलती हो अतः हिन्दी में 'ए' की मात्रा की आधी आवाज़ के लिए कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन हम को अंग्रेज़ी तथा उर्दू के ऐसे शब्द हिन्दी में लिखने पड़ते हैं जिन में 'ए' की मात्रा की आधी आवाज़ होती है जैसे पाकेट, राकेट, कालेज अंग्रेज़ी के शब्द तथा सालेह, नाकेह, फातेह आदि उर्दू के शब्द।

मैंने कहा मैं उर्दू के शब्द बोलता हूँ आप हिन्दी में लिखये تعمیرِحیات ۔کتاب خدا उन्होंने लिखा किताबे ख़ुदा, तामीरे ह़यात, मैंने कहा अच्छा मैं एक और तरह खिलता हूँ आप पढ़येः किताब—ए—ख़ुदा तामीर—ए—हयात उन्होंने पढ़ाः تعمیرا ے حیات ۔کتاب ا ے خدا उन्होंने कहा मैं समझ गया डैशों के बीच में 'ए' लिख कर 'ए' की आधी आवाज़ के लिए लिखा गया है परन्तु हिन्दी में ऐसा कोई नियम नहीं है। 'ए' लिख कर 'ए' की मात्रा की आधी आवाज़ समझी जाए मैं ने कहा अच्छा और लिखियेः

سجدۂ شکر۔صحابۂ کرام

उन्होंने लिखा सहाबए किराम, सज्दए शुक्र मैंने कहा अच्छा मैं लिखता हूँ आप पढ़येः

सहा—बए—किराम

सज—दए—शुक्र

उन्होंने पढ़ाः—

سجدۂ شکر۔صحابۂ کرام

मैं ने कहा इसे एक और तरह से लिखता हूँ पढ़िये मैं ने लिखाः सहाबा—ए—किराम, सज्दा—ए—शुक्र उन्होंने पढ़ा

سجدہ اے شکر۔صحابہ اے کرام

मैं ने उन का शुक्रिया अदा किया और मैं फारसी की इन तरकीबों को इसी लिखावट में सहीह समझता और लिखता हूँः—

किताबे—ख़ुदा, तामीरे हयात

सहा—बए—किराम,

सज— दए— शुक्र

आश्चर्य की बात है कि 'ए' की मात्रा की आधी आवाज़ के लिए 'ए' यानी मजहूल ज़ेर के लिए 'ए' की मात्रा को प्रयोग नहीं करते लेकिन 'ए' के अक्षर को प्रयोग करते हैं यह बुद्धि है और

कहाँ का तर्क है? यह तो उस कहावत के अनुकूल है, ''गुण खाएं गुलगुले से परहेज़''

नीचे लिखे हुए फारसी, अँग्रेज़ी शब्दों को किसी भी हिन्दी भाषी से लिखवाएं तो इसी रूप में लिखेगाः–

–:फारसी के शब्दः–

बेह, बेहतर, केह, केहतर, सेह, सेहरोज़ा

–:अरबी के शब्दः–

स्वालेह़, तालेह़, फातेह़, वाज़ेह़, नाकेह़

–:अँग्रेज़ी के शब्दः–

पेट (PET), मेट (MET), सेट (SET), गेट (GET),

ऊपर के तमाम शब्दों में 'ए' की मात्रा आधी आवाज़ के लिए अर्थात् मजहूल ज़ेर के लिए प्रयोग हुई है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि फारसी तरकीब में इसको क्यों नहीं प्रयोग किया जाता और किताबे ख़ुदा तथा तामीरे ह़यात की जगह किताब–ए–ख़ुदा तथा तामीर–ए–ह़यात लिखा जाता है, इसी प्रकार ज़बर के लिए 'आ' की मात्रा लगा कर सहाबा–ए–किराम तथा सजदा–ए–शुक्र लिखा जाता है।

पर्याप्त प्रयास के पश्चात् भी यह पता न लगा सका कि किताब–ए–ख़ुदा तथा सजदा–ए–शुक्र का इम्ला पहली बार किसने लिखा और उसका अनुकरण करते हुए यह इम्ला अपना लिया गया या हिन्दी उर्दू के विद्वानों ने कब और किस सम्मेलन में यह इम्ला तय किया और लोगों ने इसे आँख बन्द करके अपना लिया, जो भी हो मेरे निकट यह इम्ला शुद्ध नहीं है।

आंजहानी पण्डित नन्द कुमार अवस्थी जी संस्थापक ''भुवनवाणी'' सीतापुर रोड ने मजहूल ज़ेर (ए की मात्रा की आधी आवाज़) के लिए 'ए' की मात्रा को टेढ़ी करके ढलवा लिया था और उसी से कम्पोज़ करवाते थे अब ढले अक्षरों से हिन्दी कम्पोज़ नहीं की जाती कम्प्यूटर में कम्पोज़ होती है, सुना है भुवनवाणी के कम्प्यूटर में 'ए' की मात्रा टेढ़ी करके फीड है, क्या अच्छा हो कि हिन्दी कम्प्यूटर वाले अपने कम्प्यूटर में 'ए' की मात्रा टेढ़ी (ऽ) करके फीड कर लें और मजहूल ज़ेर के लिए उसी को प्रयोग करें।

इस विषय में मुझे अपना कोई सहयोगी नज़र नहीं आता, लेकिनः–

शुद्ध को मैं छोड़ करके
त्रुटि को कैसे लिखूँ
त्रुटि पर मैं मन को अपने
किस तरह राज़ी करूँ

मैं तो जिसे शुद्ध समझता हूँ अपने कलम से वही लिखूँगा और दूसरों के ग़लत इम्ला को सहन करूँगा, फारसी तरकीब में तो मुझे केवल इम्ला की ग़लती नज़र आती है परन्तु लोग तो बहुत से उर्दू के शब्द लिखते भी ग़लत हैं और पढ़ते भी ग़लत हैं जैसे दुन्या, बुन्याद, ख़याल, ज़ियादा, आदि को दुनिया, बुनियाद, ख़्याल, ज़्यादा लिखते और पढ़ते हैं, यह कोई

शेष पृष्ठ ...39...पर

हुक़ूक़ का बयान

—सईदा सिद्दीक़ा फ़ाज़िला

माँ-बाप के हुक़ूक:-

(1) उनको तकलीफ़ ना पहुंचायें अगर चे उन की तरफ़ से कुछ ज़ियादती हो।

(2) ज़ुबान से, बरताव से उन की तअ़ज़ीम करें।

(3) जाइज़ कामों में उन की इत़ाअ़त करे।

(4) अगर उन को ह़ाजत हो माल से उन की खिदमत करे अगर चे वह दोनों काफ़िर हों।

माँ-बाप के इन्तिक़ाल के बाद उनके हुक़ूक ये हैं:-

(1) उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। नफ़्ल इबादत और ख़ैरात का सवाब उनको पहुँचाते रहें।

(2) उनके मिलने वालों के साथ एह़सान और ख़िदमत से अच्छी तरह पेश आएं।

(3) उनके ज़िम्मे जो क़र्ज़ा हो या किसी जाइज़ काम की वसीय्यत कर गये हों और ख़ुदा ने मक़दूर दिया हो उसको अदा कर दे।

(4) उनके मरने के बाद ख़िलाफ़े शरअ़ रोने और चिल्लाने से बचें वरना उनकी रूह़ को तकलीफ़ होगी। और दादा दादी नाना नानी का हुक्म शरअ़ में मिस्ल माँ बाप के है। उनके हुक़ूक भी मिस्ल माँ-बाप के समझना चाहिए। इसी तरह खाला और मामूँ मिस्ल माँ के और चाचा और फूफी मिस्ल बाप के हैं। ह़दीस के इशारे से ऐसा ही मालूम होता है।

मुसलमानों के हुक़ूक:-

(1) मुसलमानों की ख़ता को माफ़ करे। (2) उस के रोने पर रह़म करे।(3) उसके ऐब को ढांके।(4) उसके उज़्र को क़ुबूल करे।(5) उसकी तकलीफ़ को दूर करे।(6) हमेशा उस की ख़ैरख्वाही करते रहें।

(7) उसकी मुहब्बत निबाहें। (8) उसके अ़हद का ख़याल रखे।

(9) बीमार हो तो हाल पूछे। (10) मर जाए तो दुआ करे। (11) उसकी दअ़वत को क़ुबूल करे। (12) उसका तोह़फ़ा क़ुबूल करे।

(13) उसके एहसान के बदले एह़सान करे।

(14) उसकी निअ़मत का शुक्र गुज़ार हो।

(15) ज़रूरत के वक़्त उसकी मदद करे।

(16) उसके बाल बच्चों की हिफ़ाज़त करे।

(17) उसका काम कर दिया करे। (18) उसकी बात को सुने। (19) उसकी सिफ़ारिश को क़ुबूल करे।

(20) उसको मुराद से ना उम्मीद ना करे।

(21) वह जब छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहे।

(22) उसकी गुम हुई चीज़ अगर मिल जाए तो उसके पास पहुंचा दे।

(23) उसके सलाम का जवाब दे। (24) नरमी व ख़ुश्खल्क़ी के साथ उस से

गुफ़्तगू करे। (25) उस के साथ एहसान करे।

(26) अगर वह उसके भरोसे क़सम खा बैठे तो उसको पूरा कर दे।

(27) अगर उस पर कोई ज़ुल्म करता हो तो उसकी मदद करे अगर वह किसी पर ज़ुल्म करता हो तो रोक दे। (28) उसके साथ मुहब्बत करे दुश्मनी ना करे।

(29) उस को रुस्वा ना करे। (30) जो बात अपने लिए पसन्द करे उसके लिए भी पसन्द करे।

(31) मुलाक़ात के वक़्त सलाम करे और मर्द से मर्द और औरत से औरत मुसाफ़हा करें तो और बेहतर है।

(32) अगर बाहम इत्तीफ़ाक़न कुछ रंजिश हो जाए तो तीन दिन से ज़ियादा बात करना ना छोड़े।

(33) उस पर बदगुमानी न करे। (34) उस पर हसद और बुग्ज़ ना करे।

(35) उसको अच्छी बात बताए और बुरी बात से मनअ़ करे। (36) छोटों पर रहम बड़ों का अदब करे।

(37) दो मुसलमानों में रंज हो जाए तो उनके आपस में सुलह़ करवा दे।

(38) उसकी ग़ीबत न करे। (39) उस को किसी तरह का नुक़्सान ना पहुंचाए ना माल में ना जान में।

(40) उसको उठा कर उसकी जगह ना बैठे।

हम्साया के हुक़ूक़:-

(1) उसके साथ एहसान और रिआ़यत से पेश आये।

(2) उसकी बीवी बच्चों की जान की हिफ़ाज़त करे।

(3) कभी कभी उसके घर तोहफा वगैरह भेजते रहें। बिल्ख़ुसूस जब वह फ़ाक़ा ज़दह हो तो ज़रूर थोड़ा बहुत खाना उसको दे।

(4) उसको तक़्लीफ़ ना दे। हल्की हल्की बातों में उससे ना उल्झे और जैसे शहर में हम्साया होता है उसकी तरह सफ़र में भी होता है यानी सफ़र का रफ़ीक़ जो घर से साथ हुआ हो या इत्तिफ़ाक़न राह में उसका साथ हो गया हो उसका हक़ भी उसी हम्साया की तरह है। उसके हक़ का खुलासा यह है कि उसकी राहत को अपनी राहत पर मुकद्दम रखे। बअ़ज़ आदमी रेल में या दूसरी सवारी में बहुत आपा धापी करते हैं यह बहुत बुरी बात है। इसी तरह जो दूसरों का मुहताज हो जैसे यतीम, जईफ, बेवह, मिस्कीन, आ़जिज़, बीमार और हाथ पाँव से माज़ूर या मुसाफ़िर या साइल इन लोगों के यह हुक़ूक़ ज़ाइद हैं:– (1) उन लोगों की ख़िदमत माल से करना।

(2) उन लोगों का काम अपने हाथ और पैर से कर देना। (3) उन लोगों की दिलजोई व तसल्ली करना।

(4) उनकी हाजत और सवाल को रद ना करना।

(बिहिश्ती ज़ेवर से ग्रहीत)

❖❖❖

औरंगज़ेब को अंग्रेज़ों ने बदनाम कर दिया

—मौलाना सय्यिद इनायतुल्लाह नदवी

—हिन्दी इम्ला हुसैन अहमद

अंग्रेज़ सन् 1617 ई0 में हिन्दोस्तान आए, उस वक़्त हिन्दोस्तान में जहाँगीर की हुकूमत थी, जहाँगीर से उन्होंने हिन्दोस्तान के हुदूद में तिजारत करने की इजाज़त ले ली, उनका अस्ल मक़्सद हिन्दोस्तान पर कब्ज़ा करने का था, तिजारत तो महज एक बहाना थी, इजाज़त हासिल करने के बाद उन्होंने हिन्दोस्तान की मश्रिक़ी और मग़रिबी साहिलों में किले तामीर किए जो दर अस्ल उनके फौजी अड्डे थे, साहिलों पर क़दम जमाने के बाद बाज़ मुत्तसिल इलाक़ों पर क़ब्ज़े भी करने लगे। औरंगज़ेब के जमाने में मुग्लिया सल्तनत की सरहदें मगरिब में कर्नाटक, गोवा और मुम्बई तक और मश्रिक़ में आँध्रा, उड़ीसा, बंगाल, बंगलादेश और बरमा तक पहुंच गई।

सन् 1707 ई0 में औरंगज़ेब का इन्तिक़ाल हो गया, औरंगज़ेब के इन्तिक़ाल के ठीक पचास साल के बाद सन् 1756 ई0 में हिस्दोस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत की शुरुआत हो गई जब कि उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलासी के मैदान में क़त्ल करके पूरे मश्रिकी हिन्दोस्तान पर क़ब्ज़ा कर लिया जिसमें मौजूदा बँगलादेश, मगरिबी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और झारखण्ड यह सब इलाक़े शामिल थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक इलाक़ा हड़प करते हुए 1799 ई0 में टीपू सुल्तान को शहीद करके पूरे हिन्दोस्तान पर उन्होंने क़ब्जा कर लिया।

सन् 1857 ई0 के बाद जब उन्होंने महसूस किया कि हिन्दोस्तान में मुसलमानों और हिन्दुओं में बड़ा इत्तिहाद है, तो इस इत्तिहाद को ख़त्म करने के लिए यहाँ की तारीख लिखी, तारीख नवेसी में उन्होंने यहां के दो हुकमरानों को खास तौर पर निशाना बनाया और उन की शख्सियत को मज़रूह करने की भरपूर कोशिश की, उनमें से एक औरंगज़ेब हैं और दूसरे टीपू सुलतान, उन दोनों को बदनाम करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हीं दो हुकमरानों से अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त शिकस्त मिली थी उन से उन्हें काफी नुक्सान उठाना पड़ा था, बकिया किसी भी हुकमरां से वह हारे नहीं थे।

अंग्रेज़ों को औरंगज़ेब की फौज से ऐसी शर्मनाक और रुस्वाकुन हज़ीमत उठानी पड़ी थी कि अंग्रेज़ अफ्सरान अपने जुर्म की मुआफी माँगने के लिए औरंगज़ेब के क़दमों में गिरने पर मजबूर हो गए थे, यह वाकिया सन् 1689 ई0

का है जब कि अंग्रेज़ों ने हिन्दोस्तान के तिजारती जहाज़ों की लूट मार करनी शुरुअ़ की थी, और मुग़लिया फौज से टक्कर ले कर हिन्दोस्तान पर कब्जा करना चाहा था, इस जुर्म पर औरंगज़ेब ने मुम्बई और ढाका में मौजूद अपने सिपह सालारों सय्यिदी याकूब और शाइस्ता खाँ को अंग्रेज़ों पर हमला करने का फरमान सादिर कर दिया, साथ ही उन को हासिल शुदा तिजारती इजाज़त नामा भी मन्सूख कर दिया।

चुनांचि सय्यदी याकूब ने मुम्बई और शाइस्ता खाँ ने बंगाल में वाक़े अंग्रेज़ों के ठिकानों पर शदीद हमले शुरुअ़ कर दिये। अंग्रेज़ फौज दोनों खित्तों में बद तरीन शिकस्त से दोचार हुई, बेशुमार अंग्रेज़ मारे गये, मजबूर हो कर अंगेज़ों के दो नुमाइन्दे औरंगज़ेब से बात करने देहली पहुंचे, दरबार में हाज़िर हो कर औरंगज़ेब के कदमों पर गिर पड़े और उन से रहम व मुआ़फी की दरख़्वास्त की, औरंगज़ेब ने चन्द शराइत के साथ उनको मुआ़फ किया और दोबारा तिजारती कारोबार की इजाज़त दे दी, इस वाकिया को ''चाइल्ड वार'' *(Child war)* के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस जंग को भड़काने का अस्ल ज़िम्मेदार ''जूरज़ाया चाइल्ड'' नाम का अंग्रेज़ अफसर था जिसने मुगल अफ़वाज पर हम्ला करने और हिन्दोस्तान की तिजारती जहाज़ों को लूटने का हुक्म दिया था, अंग्रेज़ों को दुन्या की सुपर पॉवर से छेड़ खानी की सज़ा मिल चुकी थी।

इस जंग में हारने और ज़लील होने का बदला उन्होंने औरंगज़ेब को बदनाम करने से लिया, अंग्रेज़ मुवर्रिखीन ने एक इन्तिहाई क़ाबिल, ताकतवर, रहम दिल, इन्सानीयत नवाज़ और इन्साफ़ पसन्द हुकमराँ को नाकाबिल, बद किरदार, बेरहम और ज़ालिम हुकमराँ बना कर पेश कर दिया, खुद उसी जंग के बारे में उनके एक मुवर्रिख़ ने लिखा है कि उसमें अंग्रेज़ कामयाब हो गए थे, जब कि हक़ीक़त उसके बिल्कुल बरअ़क्स है। एक दूसरे अंग्रेज़ मुवार्रिख़ ने हक़ीक़त पसन्दी का सबूत देते हुए वह पूरी तफ़्सील बयान की जिस का तज़्किरा अभी किया गया। इस मुवर्रिख़ का नाम *(Hamilton)* हैमिल्टन है।

जिन अंग्रेज़ों ने हिन्दोस्तान की तारीख लिखी, उन्होंने इन्तिहाई धाँधली का सबूत देते हुए औरंगज़ेब के बारे में लिखा कि इसने हिन्दुओं को क़त्ल किया, मन्दिरों को तोड़ा, जबरन लोगों को मुसलमान बनाया वगैरा वगैरा, हालांकि हक़ीक़त इसके बरखिलाफ है। 50 साल के तवील अरसए हुकमरानी में अगर उन्होंने हिन्दुओं को क़त्ल करने या उन्हें जबरन मुसलमान बनाने या मन्दिरों को तोड़ने का काम अन्जाम दिया होता,

या सिर्फ इरादा ही किया होता तो हिन्दोस्तान में न तो कोई हिन्दू ज़िन्दा बचता, और न कोई मन्दिर बाकी रहता, क्योंकि वह एक सुपर पावर मम्लकत के खुद मुख़्तार बादशाह थे, उन्हें न किसी का ख़ौफ था न खतरा, आज हिन्दोस्तान में करोड़ों की तादाद में हिन्दुओं का वजूद और लाखों तादाद में हज़ारों साल पहले बने हुए मन्दिरों का वजूद इसी की साफ गवाही दे रहा है कि औरंगज़ेब ने या किसी भी मुस्लिम हुक्मरां ने ऐसी खसीस और घिनावनी हरकत नहीं की, औरंगज़ेब की अक्सर जंगें उन मुस्लिम हुकमरानों से हुईं जो ऐश व मस्ती में मुबतला हो कर अवाम पर जुल्म कर रहे थे।

15 साल तक उन्होंने गोलकुण्डा, बीजापुर, बीदर और बराबर की मुस्लिम हुकूमतों से जंग की और पूरे जुनूबी हिन्दोस्तान को मुग़लिया सल्तनत में शामिल कर लिया।

इस दौरान में सिर्फ एक हिन्दू मराठा सरदार शिवाजी से उन की जंग हुई है, शिवा जी को शिकस्त देने के बाद औरंगज़ेब ने उस को क़त्ल नहीं किया बल्कि उसे गिरफ़्तार कर के जेल में डाल दिया। और जेल में भी सख़्त हिफाज़ती इन्तिज़ामात नहीं किए जिस से फाइदा उठा कर शिवा जी जेल से फरार होने में काम्याब हो गया, शिवा जी ने फरार होने के बाद मुगल अफ़वाज के खिलाफ़ छापा मार जंग शुरुअ कर दी इसके बावजूद औरंगज़ेब ने उसके खिलाफ कोई सख्त ऐक्शन नहीं लिया, अगर कोई बे रहम बादशाह होता तो शिवा जी के गिरफ़्तार किए जाने के बाद उस का सर क़लम कर के रखता और अज़ीयत दे कर हलाक़ कर देता, लेकिन औरंगज़ेब ने ऐसा कुछ नहीं किया, यह उनके रहम दिल हुक्मरां होने की वाहेज दलील है। इसी तरह अंग्रेज़ों के शिकस्त खाने के बाद उनको मुआ़फ कर देना और हिन्दोस्तान के अन्दर दोबारा तिजारत की इजाज़त दे देना भी उनकी रहम दिली की वाज़ेह दलील है।

औरंगज़ेब के इस तवील दौर में सिर्फ़ चार या पांच मन्दिरों के तोड़े जाने का तज्क़िरा मिलता है उनमें से एक मथुरा का ''कृष्ण गोपी मन्दिर'' था, इस मन्दिर के मुनहदिम किए जाने में भी औरंगज़ेब के हुक्म का बराहे रास्त कोई दख़ल नहीं है, अल्बत्ता इस मन्दिर को औरंगजेब के मातहत हुकूमत करने वाले भरत पुर के राजा ने मुन्हदिम करवाया था, इस का वाकिया यूँ है कि एक मरतबा कुम्भ के मेले के मौके पर एक पन्जाबी हिन्दू ने औरंगज़ेब से यह शिकायत की कि वह अपनी नई नवेली बीवी के साथ कुम्भ मेले में शिरकत के लिए आया था, बीवी अकेली प्रार्थना करने गई थी, प्रार्थना के दौरान मन्दिर के

अन्दर वह गायब हो गई, मन्दिर के जिम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने यह कहा कि कृष्ण देवता ने उसे अपनी गोपी बना लिया, अब वह उस को नहीं मिलेगी, इस हिन्दू को पुजारियों की बातों पर यक़ीन नहीं था, उसको यक़ीन था कि पुजारियों ने ही इसको इगवा किया होगा, औरंगज़ेब से इस शख़्स ने इस की तहकीक़ करवाने की दरख़्वास्त की, औरंग ज़ेब ने भरतपुर के राजा को इस मुआमला की तहक़ीकात का काम सौंपा, भरतपुर का राजा हिन्दू था और मुग़लिया सल्तनत के मातहत था, इसको मालूम था कि मन्दिर के अन्दर गलत हरकतें होती हैं, नौजवान खूबसूरत लड़कियों का मन्दिर से गाइब होना एक आम सी बात है, जब पुजारियों से किसी लड़की के गाइब होने के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा वह यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उस को अपनी गोपी बना लिया है, यह सब जानने के बावजूद वह उन बातों से चश्म पोशी करता था, क्यों कि उसे डर था, कि अगर इस मन्दिर के पुजारियों के खिलाफ ऐक्शन लेगा तो हिन्दु उसके खिलाफ बगावत कर देंगे, लेकिन जब औरंग ज़ेब का हुक्म तहक़ीक़ात के सिलसिले में आया तो वह परेशान हो गया और ग़म्ज़दा रहने लगा, इसकी लड़की प्रतिमा को मालूम हुआ तो उसने खुद उसकी तहक़ीक़ात का इरादा कर लिया उसने अपनी एक सहेली को दुल्हा बनाया और खुद दुल्हन बन कर मन्दिर के अन्दर दाखिल हुई, दाखिल होने से पहले उसने मुसल्लह फौजियों को मन्दिर के चारों तरफ मुतअय्यन कर दिया, रात के वक़्त वह प्रार्थना कर रही थी तो उसने एक आवाज़ सुनी कि भगवान ने तुम को अपनी गोपी बना लिया है, फिर अचानक कमरे में धुवां उठा और उसको वहां से उठा लिया गया, इस की सहेली जो दुल्हा के भेस में भी, पुजारी के पास गई और अपनी दुल्हन के बारे में दरयाफ़्त किया तो उसको भी वही जवाब मिला कि कृष्ण ने उसको अपनी गोपी बना लिया है, सहेली ने फौरन फौजियों को मन्दिर के अन्दर बुलाया जब फौजी खास कोठरी में पहुँचे तो उन को शहजादी वहाँ बेहोश पड़ी मिली। पंजाबी हिन्दू की बीवी भी मिली, पता चला कि बरसहा बरस से यहां यह खेल चल रहा था, खूबसूरत जवान लड़कियों को एक खास कोठरी में ले जाया जाता, वहां पुजारी उससे जी भर के हवस मिटाते, फिर उसके जेवरात निकाल कर जमुना नदी में उसे बहा दिया जाता।

भरतपुर के राजा ने तहक़ीक़ात की तफ़्सील औरंगज़ेब के पास तहरीरी शक्ल में रवाना कर दी और आइन्दा के लाहे अमल के बारे में दरयाफ़्त किया, औरंग ज़ेब ने राजा को यह पैगाम

भेजा कि राजा अपनी सवाबदीद के मुताबिक़ पुजारियों के खिलाफ जो चाहे कारवाई करे, अलबत्ता इस बात का ध्यान रहे कि दोबारा मन्दिर के अन्दर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए।

राजा ने मन्दिर के तमाम पुजारियों को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया, कृष्ण मन्दिर के पुजारियों की गिरफ़्तारी पर अतराफ के तमाम मन्दिरों के पुजारियों ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी, सब ने एक साथ हो कर जेल पर धावा बोल दिया और तमाम गिरफ़्तार पुजारियों को जेल से रिहा करवा दिया, फिर महल के अन्दर घुस कर शाहजादी प्रतिमा को हलाक कर दिया, अपनी बेटी की हलाकत पर राजा भरतपुर आग बगूला हो गया, उसने फौज को पुजारियों के खिलाफ हमला करने का हुक्म सादिर कर दिया, फौजियों ने सख़्त ऐकशन लेते हुए तमाम पुजारियों को तीरों से छलनी कर के हलाक कर दिया, फिर राजा ने पूरे मन्दिर को मिसमार करने का आदेश दिया, चुनांचि पूरा मन्दिर ज़मीं दोज़ कर दिया गया, सिवाए उस कोठरी के जिस को कृष्ण की जन्म भूमी बताया जाता है, इससे साफ़ हो गया कि मथुरा के कृष्ण गोपी मन्दिर का इन्हिदाम भरतपुर के हिन्दू राजा के हुक्म पर हुआ था, औरंग ज़ेब ने उसके इन्हिदाम का कोई हुक्म सादिर नहीं किया था।

अलबत्ता उन की हुकूमत के दाइरे में उनके एक मातहत राजा के हुक्म से हुआ था, वह भी इसलिए कि हिन्दुओं के एक मुक़द्दस मुक़ाम पर ऐसी घिनावनी हरकत हो रही थी कि मन्दिर की तक़्दीस को वही पामाल कर रहे थे जो उसकी तक़्दीस के अस्ल रखवाले थे, इसके अलावा और जो दो चार मन्दिर औरंगज़ेब के ज़माने में मुन्हदिम हुए हैं, उनमें भी तक़्रीबन ऐसे ही मुआ़मलात हो रहे थे, जिन की जानकारी की बिना पर उन्हें मुन्हदिम कर दिया गया। और बहुत सारे मन्दिर ऐसे भी थे जिन को औरंज़ेब की हुकूमत की जानिब से सालाना रुकूम, देसी घी का दिया जलाने की खातिर फराहम किए जाते थे।

जहां तक जिज़या की बात है जिस को ले कर औरंग ज़ेब को बहुत बदनाम किया जाता है, तो वह सिर्फ मालदार हिन्दुओं पर सालाना 12 रूपये, या 6 रूपये, या 3 रूपये नाफिज़ किया गया था और गरीब हिन्दुओं पर इस का कोई इत्लाक़ नहीं था, जैसे कि मालदार मुसलमानों में ज़कात फर्ज़ है, औरंगज़ेब ने खुद पहले से आइद बहुत सारे टैक्सों को ख़त्म करवाया था और जिजया मालदार हिन्दुओं पर लागू किया था ताकि उस जिज़या की रक़म से अवाम की बहबूदी का काम किया जा सके, यह बात बिल्कुल मुह़क़्कक है जिस का औरंगज़ेब के दुश्मन भी एतराफ़ करते हैं कि सरकारी ख़ज़ाना से

औरंगज़ेब एक पैसा अपने ज़ाती खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, सरकारी खज़ाना टैक्सों से हासिल होता था, बहुत सारे टैक्स ख़त्म कर दिए गए थे तो जिज़या से जो रक़म हासिल होती थी, इसका सड़कों तालाब, डाक, सराए, शिफाखाने वग़ैरा रिफ़ाही कामों में इस्तेमाल किया जाता था, इस तरह मालदार हिन्दुओं पर जिज़या लागू करके औरंगज़ेब ने किसी पर जुल्म का इर्तिकाब नहीं किया था, बल्कि उसको अवामी रिफ़ाही कामों में लगा कर उसका सहीह़ इस्तेमाल किया था जिस से इन्सानियत की ख़िदमत होती थी।

जिज़या की बात को अंग्रेजों ने ऐसा बढ़ा चढ़ा कर और नमक मिर्च लगा कर पेश किया कि औरंगज़ेब की शबीह दागदार हो गई जब कि यह बात सब जानते हैं कि औरंगज़ेब की जिन्दगी इन्तिहाई सादा थी, वह बहुत बड़े बादशाह होते हुए भी रोटी और दाल से इफ़्तार करते थे, जब कि गरीब आदमी भी इफ़्तार के लिए बहुत सारे लवाजिमात तैयार करता है। जहां तक इस इल्ज़ाम की बात है कि औरंगज़ेब ने अपने बाप को क़ैद कर के और भाईयों को क़त्ल करवा के इक़्तिदार पर क़ब्जा कर लिया तो यह भी इन्तिहाई बे बुन्याद है। इसकी तफ़्सीलात इन्शाअल्लाह आइन्दा शुमारे में पेश की जायेगी।

❖❖❖

ख़िलाफ़ते राशिदा.....

दो फ़ितने (उपद्रव) :-

रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी ही में यमन और यमामः (दक्षिणी नज्द) में दो झूठे नबी खड़े हो गये थे, जब रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुन्या से तशरीफ़ ले गये तो फ़ितनों की आग भड़क उठी, बहुतेरे अरब क़बीले नये नये मुसलमान हुए थे। इस्लाम अभी उनके दिलो दिमाग़ में नहीं रचा बसा था, क़बीलों का निज़ाम (व्यवस्था) बाक़ी था, जिन लोगों ने अपने लिए सरदारी और हुकूमत की स्कीमें तैयार कीं, उन्हें नबूवत का दावा करके लोगों को साथ मिला लेना आसान नज़र आया, चुनांचि कई झूटे नबी मैदान में आ गये, जैसे मुसैलमह कज़्ज़ाब, तलीहा, सजाह नाम की एक औरत भी नबी नबीयह बन गयी, क़बीलों के ओबाश (दुराचारी) उन लोगों के इर्द गिर्द जमा हो गये तो पूरे क़बीले उनके झन्डे तले आ गये। एक गिरोह ऐसा भी था जो इस्लाम का दिल से क़ाइल था लेकिन उसने ज़कात देने से इन्कार कर दिया इन दो फ़ितनों ने एक इरतिदाद (धर्म परत्यिाग) का फ़ितना दूसरा ज़कात को रोकने का फ़ितना। इस्लामी हुकूमत के लिए सख़्त मुशकिल कठिनाइयाँ पैदा कर दीं।

❖❖❖

अ़क़्द, तलाक़ ख़ुलअ़, तीन तलाक़

—सईदा फ़ाज़िला ताहिराती

वतन है अपना प्यारा हम को – वतनी भाई प्यारे हम को
विनय हमारी है यह उन से – सुनें हमारी बातें मन से
मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातें – मुस्लिम मुस्लिम मज़हब की कुछ बातें
अ़क़्द पढ़ा कर बीवी लाते – अ़क़्द बिना नहीं हाथ लगाते
अ़क़्द पढ़ा कर जिस को लाते – जीवन उस के साथ बिताते
झगड़ा ज़न शौहर में होता – साथ में रहना मुश्किल होता
सुल्ह़ की कोशिश जितनी होती – सारी वह बेकार हो जाती
होती ऐसे में है तलाक़ – रब ने दिया है ह़क़्क तलाक़
ह़क़ यह शौहर को ही मिला है – बीवी का ह़क़ इस से जुदा है
ज़ालिम शौहर जुल्म है करता – छुटकारा भी नहीं है देता
ह़म्द ख़ुदा की शुक्र ख़ुदा का – बीवी को ह़क़ मिला ख़ुलअ़ का
ख़ुलअ़ पे शौहर नहीं है राज़ी – बीवी जाए पेशे क़ाज़ी
क़ाज़ी सिर्फ़ तहक़ीक़ करेगा – जुल्म अगर शौहर का होगा
काज़ी उस से बात करेगा – सुल्ह़ की कोशिश ख़ूब करेगा
नहीं दिखेगी जब इस्लाह – करे गा क़ाज़ी फ़स्ख़े निकाह़
जिस ने दी बीवी को तलाक़ – हक़ एक रखता बादे तलाक़
अन्दर इद्दत रुजुअ़ का हक़ है – बादे इद्दत नहीं यह हक़ है
बादे इद्दत अगर वह चाहें – अ़क़्द करें और उसे निबाहें
लेकिन यह हक़ उसी को ह़ासिल – कहते हैं सब आ़लिम फ़ाजिल
जिस ने दी है एक तलाक़ – या दोबारा दी है त़लाक़
तलाक़ तीसरी जिस ने दी है – तलाक़े क़तई उस ने दी है
रुजूअ़ का ह़क़ अब रहा नहीं है – अ़क़्द भी उससे रवा नहीं है
बादे इद्दत अब तो उस से – अ़क़्द भी जाइज़ नहीं है उस से
अ़क़्द भी जाइज़ नहीं है उस से – अ़क़्द करे वह और किसी से
अ़क़्द यह लेकिन वक़्ती ना हो – नीयत में कुछ ग़लती ना हो
यह शौहर जब दे दे तलाक़ – बीवी पाये उस से तलाक़
इद्दत बीवी अपनी गुज़ारे – करे दुआ़एं रब को पुकारे
गर अब चाहे पहला शौहर – कर के अक़्द बनाए शौहर

गाँव का समाज

—उबैदुल्लाह मतलूब

मैं गाँव का रहने वाला हूँ, इण्टरमीडिएट तक मेरी शिक्षा वहीं हुई, अपने पिता की इच्छा पर सन् 2017 में मैंने खुसूसी अव्वल दारुल उलूम नदवतुल उलमा में प्रवेश लिया, अलहम्दुलिल्लाह, मैंने खुसूसी अव्वल और खुसूसी दोयम दोनों दर्जे फर्स्ट डिवीज़न में पास कर के अब ख़ुसूसी सोयम में पढ़ रहा हूँ, मेरा जी चाहा कि मैं अपने गाँव का कुछ हाल लिखूं।

गाँव समाज की अच्छाईयाँः-

मैं गाँव में पैदा हुआ और गाँव ही में मेरा बचपन बीता, मैंने देखा, हिन्दू हो या मुसलमान, शेख हो, या पठान, यादव हों या कोरी पासी सबमें आपस में कोई न कोई रिश्ता होता है। कोई किसी का भाई है तो कोई चाचा, कोई स्त्री किसी की बहन है तो किसी की भतीजी, किसी की भावज है तो किसी की चाची—काकी, ज़रूरत पर बड़े लोग छोटों का नाम ले कर सम्बोधित करते हैं, मगर छोटे लोग साधारणतः बड़ों के नाम नहीं लेते, भय्या, चाचा, काका दादा आदि कह कर सम्बोधित करते हैं। कभी नाम भी लेते हैं तो रिश्ता भी लगाते हैं जैसे, फुलां भाई, फुलां चाचा आदि यह स्वभाव है जिससे पारस्परिक मेल कायम रहता है और बढ़ता भी है, मेल मिलाप और एकता बाक़ी रहती है।

कोई बीमार हो जाता है तो दूसरे लोग उसका हाल पूछते हैं ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं, खुदा न करे किसी के घर आग लग जाती है तो पूरा गांव उसको बुझाने को दौड़ पड़ता है, अब तो लगभग यह रवाज ख़त्म हो रहा है वरना पहले बड़ा छप्पर उठाने में बीस पच्चीस लोग लगते थे। जिसका छप्पर होता था उसकी आवाज़ पर बीस पच्चीस लोग पहुंच जाते थे, इस तरह की बहुत सी खूबियां गाँव में मौजूद थीं और हैं परन्तु इधर दो तीन वर्षों से विकास की होड़ ने पारस्परिक सहानुभूति तथा प्रेम भाव को प्रभावित किया है।

मेरे प्रिय गाँव की वह बातें जो मुझे अप्रिय लगीं:-

मेरे गाँव में हिन्दू भी हैं और मुसलमान भी, मुसलमानों में शेख़, पठान और मुस्लिम गड़रिये हैं, हिन्दू भाईयों में यादव, कोरी, पासी, रैदास, लुहार, बढ़ई और एक घर लोनिया का है, मुसलमान तो आपस में एक दूसरे के यहाँ खाते पीते हैं, मस्जिद में एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं मगर हिन्दू भाईयों में यादव आपस में खाते पीते हैं, मगर कोरी पासी और रैदास के यहाँ का खाना पानी नहीं खाते पीते,कोरी पासी, आपस में खाते पीते हैं मगर रैदास के यहां का खाना पानी नहीं

खाते पीते, यहां तक कि रैदास अगर थाली में परोसा हुआ खाना चाहे वह यादव के यहां का हो अगर वह उस थाली को छू ले तो यादव वह खाना नहीं खायेंगे। इसी तरह कोरी पासी का छुआ हुआ खाना यादव लोग नहीं खाते, अलबत्ता कोरी पासी और रैदास यादव के यहां का खाना पानी खाते पीते हैं जहां तक मैं जानता हूँ, लोहार और बढ़ई के यहाँ का खाना पानी भी यादव लोग नहीं खाते यही हाल लोनिया का है, उसके यहां का भी खाना पानी यादव लोग नहीं खाते, मेरे गाँव में एक घर धोबी का है धोबी के यहां का खाना पानी हमारी जानकारी में कोई हिन्दू नहीं खाता। कोई हिन्दू चाहे वह यादव हो या कोई और, हम मुसलमानों के याहँ का खाना पानी नहीं खाते पीते, अलबत्ता मुसलमान यादव, लोहार और बढ़ई के यहाँ का खाना खा लेते हैं लेकिन कोरी पासी के यहाँ का खाना वह भी नहीं खाते।

यह सहीह़ है कि यादव लोग शाकाहारी होते हैं उनको मांस से घृणा रहती है लेकिन मांसाहारी अगर मांस न पकाये हुए हो शाकाहारी भोजन तैयार करे तब भी यादव लोग नहीं खाते इसी तरह मुसलमान अगर शाका हारी भोजन तैयार करे तो कोई भी हिन्दू नहीं खाता।

निःसंदेह गाँव के सब लोग परस्पर सम्बंधी की भांति रहते हैं उनमें मेल मिलाप रहता है उनमें परस्पर सहानुभूति रहती है, परन्तु खाने पीने में उनका यह मतभेद मुझे अप्रिय लगा। सोचना चाहिए कि यह मतभेद किस प्रकार दूर हो।

जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उसी वक़्त मैंने सुना था कि छूत छात क़ानूनन अपराध है, लेकिन क्या इस कानून से समाज में छूत छात ख़त्म हो गया? हरगिज़ नहीं, फिर छूत छात ख़त्म करने की क्या तदबीर की जाए इस पर ध्यान देना चाहिए।

शासन क़ानून के साथ कुछ उपाय भी करता है, जैसे सार्वजनिक सरकारी स्थानों पर पानी पिलाने के लिए किसी दलित मर्द या औरत को रखा जाता है और लोग उसके हाथ का पानी पीते हैं परन्तु समाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता विशेषकर गाँव के समाज पर, इसी तरह सरकार ने प्रयास किया कि जिन स्कूलों में मध्यान में खाना दिया जाता है वहां खाना बनाने और परोसने वाले दलित रखे जाएँ, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाया है। जहाँ खाना बनाने परोसने के लिए दलित मर्द या औरत रखे गये वहां से लड़ाई झगड़े की सूचनाएं भी आईं। ऐसी सूरत में छूत छात कैसे दूर हो? मैं समझता हूँ कि जिन गाँव के लोगों में यादव, ब्रह्मण या क्षत्रिय उच्च शिक्षा रखते हों अगर वह प्रयास करें और गाँव वालों को समझायें तो किसी हद तक सफलता की आशा की जा सकती है, लेकिन मैंने

देखा बाज़ ब्रह्मण पोस्ट ग्रेजुएट हैं परन्तु वह स्वयं छूत छात में ग्रस्त हैं, अलबत्ता कुछ को इसके विरुद्ध पाया, जो भी हो जो पढ़े लिखे सज्जन छूत छात को बुरा समझते हैं उनका कर्तव्य है कि दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें।

❖❖❖

इस्लाम के तीन.....

हमेशा अपने भविष्य की तरफ़ से असंतुष्ट और आशंकित रहेगा। उसको हर बार हर नया व्यक्ति यह बतलायेगा कि मानवता की वाटिका और रौज–ए–आदम (आदम का बग़ीचा) अभी तक अपूर्ण थी अब वह डाल–पात से पूरी हुई है। और वह यह समझने पर मजबूर होगा कि जब इस तरह वह बजाय इसकी सिंचाई और इसके फल–फूल के फायदा उठाने के नये बागवान का इन्तज़ार करेगा जो उसको डाल–पात से पूरा करे।

जारी.....

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी .....

रात तक चुप रहने की मुमानियतः–

हज़रत अली रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मुझे याद है आपने फरमाया कि बुलूग के बाद यतीमी नहीं होती। और चुप का रोजा रखना दुरुस्त नहीं। (अबू दाऊद)

ज़माने जाहिलीयत में चुप का रोज़ा रखना इबादत में दाखिल था।

हज़रत क़ैस बिन अबू हाज़िम से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र रज़ि0 कबील–ए–अहमस की एक औरत के पास गये जिसका नाम ज़ैनब था, उसको बहुत खामोश पाया, हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने कहा इसको क्या हुआ, यह बोली क्यों नहीं, लोगों ने कहा इसने खामोश हज किया है। हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने फरमाया इसको हुक्म दो कि यह बोले, यह जाहिलीयत काल का तरीक़ा है, तो वह बोलने लगी। (बुख़ारी)

–प्रस्तुति– ◆◇◆

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

सहाबा का मक़ाम व.....

काफ़िरों और मुनाफिक़ों की टोली अलग कर दी गई और सहाबा को इन्तिहाई मशक़्क़त व मुजाहदा की चक्की में पीस कर अलग कर दिया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने ही से यह चीज़ पूरी तरह वाजेह हो गई, न किसी मुनाफिक़ को सहाबी शुमार किया जा सकता है और न किसी सहाबी को मुनाफिक़ की सफ में समझा जा सकता है।

जारी.....

❖❖❖

वार्तालाप एक हिन्दी.....

पाप नहीं है परन्तु उर्दू शब्दों का वध अवश्य है जिसका मुझे दुख है मैं इक़बाल के इस शेअ़र पर अपनी बात समाप्त करता हूँ–

इक़्बाल कोई महरम
अपना नहीं जहाँ में
मालूम क्या किसी को
दर्दे निहां हमारा

❖❖❖

''सच्चा राही'' के पाठकों से दुआए मग़फ़िरत की दरख़्वास्त

—इदारा

जवाँ साल, ख़ुश अख़लाक़, योग्य आलिमे दीन **दारूलउलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ के उस्ताज मौलाना सय्यिद मुहम्मद गुफ़रान बाँदवी नदवी** का 25 नवम्बर, 2019 की रात को एकसीडेण्ट के हादिसे में इन्तिक़ाल हो गया ''इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन'' हादिसा अचानक होने की वजह से सारे संबंधित प्रभावित हुए, मरहूम आलिमे रब्बानी क़ारी मौलाना सिद्दीक़ साहब बाँदवी रहमतुल्लाह अलैहि के निवासे थे।

मरहूम एक इल्मी व दीनी घराने के चश्मे चराग़ थे अगर ज़िन्दगी वफ़ा करती तो अपने बुजुर्गों की यादगार होते, मरहूम की उम्र इस समय केवल 32 साल थी। हाफ़िज़े कुरआन और आलिमे दीन होने के साथ साथ ग्रेजुऐशन भी किया था। इस समय वह पी0एच0डी0 कर रहे थे। बूढ़े माँ–बाप और भाई–बहन के अलावा मरहूम के जवां साल बेवा और 3 साल का मासूम बच्चा है, अल्लाह तआला उन सब को सब्र जमील अता फ़रमाये, मरहूम के नेक आमाल को मरहूम के लिए सदक़–ए–जारिया बनाये, मरहूम ने शहादत की मौत पाई।

असमाँ उनकी लहद पर शबनम अफ़शानी करे
सबज़–ए–नौरस्ता उस घर की निगहबानी करे

एक मर्दे मोमिन ख़लील अहमद खाँ ख़ैराबादी जवारे रहमत में

मरहूम, शोब–ए–दअ़वतो इरशाद नदवतुल उलमा, लखनऊ के हरदम रवाँ दवाँ रहने वाले मुबल्लिग़ मौलाना आफ़ताब आलम नदवी ख़ैराबादी के वालिदे मुहतरम थे, मरहूम का इन्तिक़ाल 23 नवम्बर 2019 को हुआ, मरहूम नाम के ख़लील नहीं थे, बल्कि वास्तविक रूप में उनके अन्दर ख़लीलुल्लाह की शान थी, उनका जीना और मरना सब अल्लाह के लिए था। दुन्या के कामों से जैसे ही फ़ुरसत मिलती अल्लाह के घर में नज़र आते, कोई उनको देखता और मुलाकात करता तो फ़ौरन गवाही देता, कि कहने वाले ने शायद इन्हीं के लिए कहा हैः–

''यह बन्दा दो आलम से ख़फ़ा मेरे लिए है''

मरहूम ने अपने बच्चों की दीनी तरवियत की और सब को तालीम से लगाया, हलाल और पाक कमाई का हमेशा ख्याल रखा, आखिरी दम तक किसी से ख़िदमत नहीं ली, दमे वापसी तक अल्लाह का ज़िक्र ज़बान पर जारी रहा, एक बड़ी तादाद उनके जनाज़े में शरीक़ हुई जिस से उनकी महबूबियत और मक़बूलियत का अन्दाज़ा होता है।

अल्लाह उन पर अपनी रहमतों की बारिश फ़रमाये।

हम तमाम कारकुनाने दारुल उलूम नदवतुल उलमा मरहूम के मुतआल्लिक़ीन के गम में बराबर के शरीक़ हैं। और हम सब दुआ–ए–मग़फ़िरत करते हैं।

आमीन

Nadwatul Ulama
P.O. Box No. 93, Tagore Marg,
Lucknow - 226007 (India)

ندوة العلماء
ص.ب.۹۳/۰، تیغورمارغ،
لکناؤ-۲۲۶۰۰۷ یوبی (الهند)

Date ____________ التاريخ ____________

09/09/2018 ۲۸/ذی الحجہ ۱۴۳۹ھ

باسمہ تعالیٰ

अपील बराए तामीर जदीद हास्टल

अल्लाह तआला का शुक्र है कि दारूल उलूम नदवतुल उलमा हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी की संरक्षता में अपनी इल्मी व दीनी खिदमत में लगा हुआ है, दारूल उलूम में इल्मे दीन के तालिब इल्मों की अधिकता के कारण रिहाइश (निवास स्थान) की बड़ी समस्या हो गई, जिसकी वजह से तालिब इल्मों के दाखिले सीमित करने पड़ते हैं, और नये तालिब इल्मों की एक बड़ी संख्या मायूस होकर वापस हो जाती है। इस सूरतेहाल को देख कर नदवतुल उलमा की प्रबंधक कमेटी ने नये छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसका संगे बुन्याद हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से रखा जा चुका है, और अल्लाह की मदद के भरोसे पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस नये छात्रावास में जो तीन मन्ज़िला होगा, 36 कमरे और 2 हाल होंगे, ताकि तालिब इल्मों की रिहाइश (निवास) के साथ दूसरी शिक्षा संबन्धित ज़रूरतें पूरी हो सकें और वह संतुष्टि होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इस निर्माण कार्य पर 3,61,74,600 (तीन करोड़, एक्सठ लाख, चौहत्तर हज़ार, छः सौ) रूपये, और एक कमरे पर लगभग साढ़े चार लाख रूपये के खर्च का अन्दाज़ा है, जो इन्शाअल्लाह अहले खैर के तआवुन (सहयोग) से पूरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर अवश्य ध्यान देंगे और नदवतुल उलमा के कार्यकर्ताओं का हाथ बटाएंगे।

हमें अल्लाह तआला पर भरोसा है कि उसकी मदद से यह अहम काम पूर्ति को पहुंचेगा।

मौलाना तकीयुद्दीन नदवी	प्रो0 अतहर हुसैन	मौ0 सईदुररहमान आज़मी नदवी
(मोतमद तअलीम, नदवतुल उलमा)	(मोतमद माल, नदवतुल उलमा)	(मोहतमिम दारूलउलूम, नदवतुल उलमा)

चेक / ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें।

NADWATUL ULAMA
A/C NO. 10863759733 (IFSC CODE - SBIN0000125)
(State Bank of India Main Branch, Lucknow.)

और इस पते पर भेजें।

NIZAMAT OFFICE, NADWATUL ULAMA,
P.O. BOX NO. 93, TAGORE MARG,
LUCKNOW - 226007 (U.P.)

Phone: +91-522-2741316, Guest House: 2740141, Fax: 2741023
e-mail: nadwa@sancharnet.in, website: www.nadwatululama.org

उर्दू सीखये —इदारा

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़ये

तिलहनों में सबसे मशहूर तिलहन सरसों है।
تلہنوں میں سب سے مشہور تلہن سرسوں ہے۔
सरसों दो क़िस्म की होती है।
سرسوں دو قسم کی ہوتی ہے۔
पीली सरसों, काली सरसों, काली सरसों को राई भी कहते हैं।
پیلی سرسوں، کالی سرسوں، کالی سرسوں کو رائی بھی کہتے ہیں۔
पीली सरसों के पत्तों का साग बहुत अच्छा होता है।
پیلی سرسوں کے پتّوں کا ساگ بہت اچھا ہوتا ہے۔
राई के पत्तों का साग भी खाया जाता है।
رائی کے پتّوں کا ساگ بھی کھایا جاتا ہے۔
सरसों के तेल में पूड़ी तली जाती है।
سرسوں کے تیل میں پوڑی تلی جاتی ہے۔
सरसों के तेल में दाल भरी तली जाती है।
سرسوں کے تیل میں دال بھری تلی جاتی ہے۔
पूड़ी को कुछ लोग सुहाली भी कहते हैं।
پوڑی کو کچھ لوگ سہالی بھی کہتے ہیں۔
दाल भरी को कुछ लोग पूड़ी कहते हैं।
دال بھری کو کچھ لوگ پوڑی کہتے ہیں۔
मुझ को दाल भरी बहुत पसन्द है।
مجھ کو دال بھری بہت پسند ہے۔

RNI No. UPHIN/2002/795
Regd. No. SSP/LW/NP-491/2018 To 2020
Dispatch Date :1&5
Published of 27th Advance Month
Dispatch: R.M.S Charbagh, Lucknow

MONTHLY
SACHCHA RAHI
Vol. 18 - Issue 11

Office Timing : 7:30 AM To 1:15PM
Tel.:(0522) 2740406
ISSN No.: 2582-4007
http://www.nadwatululama.org
E-Mail: sachcharahi2002@gmail.com

R.K. Clinic Research CENTRE

R. K. CLINIC & RESEARCH CENTRE

Dr. Mohammad Fahad Khan
M.D.

विशेषज्ञ

पेट एवं उदर रोग, श्वास एवं चेस्ट रोग, एण्ड्रोक्रायोनोलोजी एवं मधुमेह रोग

24 HOURS EMERGENCY SERVICES AVAILABLE

G-1, Aman Apartments, Chaupatiyan, Opp. Power House, Lucknow
Ph.: 0522-2651950, 9415006983

Designed By Saleh Mahmood, Lko. Mobile : 7860632916